BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 745 OF 2024

IN THE MATTER OF:

SiyaRam Mandal ...Applicant

Versus

Eldico Company & Ors. ...Respondent(s)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Additional Affidavit Of District Magistrate Bareilly in compliance of order dated 03.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.	1 - 6
2.	**ANNEXURE R-1** Copy of order dated 03.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal	7- 10
3.	**ANNEXURE R-2(Colly)** Copy of representation dated 25november and 16December 2024	11-12
4.	**ANNEXURE R-3** Copy of letter making endorsement on the representation	13-14
5.	**ANNEXURE R-4** sub district magistrate sadar report and copy of Revenue Record and revenue map (Old and Current)	15-32
6.	**ANNEXURE R-5** Copy of LMC Meeting	33-35
7.	**ANNEXURE R-6**Copy of gift deed	36-58

	dated 30.12.2024	
8.	**ANNEXURE R-7** Copy of Goverment Order Dated 03.06.2016	59-78

FILED THROUGH

Ankit Verma

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF,NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB:- 0999080440 Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 745 OF 2024

IN THE MATTER OF:

SiyaRam Mandal ...Applicant

Versus

Eldico Company & Ors. ...Respondent(s)

ADDITIONAL AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE BAREILLY IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 03.10.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No. 3 herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

NOTARY Munishwar Dayal Advocate & Notary Karchery, Bareilly (U.P.) Reg. No. 8505 Valid Upto 2026 GOVERNMENT OF INDIA

I, Ravindra Kumar aged about 43 years, presently posted as District Magistrate District Bareilly, Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

That I am above mentioned authorized officer of the answering Respondent and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

1. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the original

application which are not specifically admitted hereunder to be considered to have been denied by the Deponent

2. That the deponent is posted as District Magistrate Bareilly since 03-10-2023

3. That this Hon'ble Tribunal in vide order dated 03.10.2024 was pleased to pass the following directions:

> ***"6.............We also find that the report submitted by the UP PCB and District Magistrate, Bareilly do not disclose full information. The District Magistrate, Bareilly is directed to file further report disclosing under which provision exchange of the pond land can be permitted and also the revenue map of the pond in question and the passage shown in the old revenue maps for approaching the pond. 7. The report by the District Magistrate, Bareilly discloses that Construction and Demolition (C&D) waste has been dumped in the pond. The report of the UP PCB does not disclose any action against the said violation............"*** A copy of order dated 03.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal is annexed herewith and marked as **Annexure R-1**

NOTARY GOVERNMENT OF INDIA Munishwar Dayal Advocate & Notary Katchery, Bareilly (U.P.) Reg. No. 8505 Valid Upto JUN-2026

4. That the present additional affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 03.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.

5. That the present original application, has been registered on basis of letter petition, wherein the grievance is that Gata No. 506 of village Bilwa Pargana, Tehsil and District Bareilly is registered as a lake, but the land mafia has illegally

captured it and are in the process of the developing a colony thereon.

6. That the representative of the Respondent No.4 (herein Company) submitted a proposal dated 25.11.2024 and 16.12.2024 to the office of deponent titled as Development of Rasta from Jheel (Khasara No. 508) situated in village Bilwa Bareilly. A copy of representation dated 25.11.2024 and 16.12.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure R-2(Colly).**

7. That the aforesaid representation was forwarded to the Sub Divisional Magistrate Sadar Bareilly by Additional District magistrate (Administration), District Magistrate Office Bareilly on 19.12.2024. In compliance of above, lekhpal of Bilwa gram sabha was nominated by Tehsildar Sadar, Bareilly to do the needful in his capacity as Secretary of Land Management Committee (LMC) of Gram Bilwa. A copy of letter making endorsement on the representation submitted by the Respondent no 4 annexed herewith and marked as **Annexure R-3(Colly).**

NOTARY
Manishwar Dayal
Advocate & Notary
Kachery, Bareilly (U.P.)
Reg. No. 8505
Valid Upto JUN-2026
GOVERNMENT OF INDIA

8. That in pursuance to letter dated 07-01-2025 by A.D.M (F&R) Bareilly, a report dated 15-01-2025 was submitted by Sub District Magistrate Sadar, Bareilly wherein it is mention that the catchment area of the Gata No.508 which is registered as Jheel in the revenue records is surrounding agricultural land and the primary source of water in the Jheel is periodic rainfalls.

9. Report dated 15.01.2025 of Sub District Magistrate, sadar Bareilly also mentions that "As per the revenue records, the land upon which Jheel exists is surrounded by four gatano.500/0.5310 Hectare, gata no.503/4.8560Hectare,

gatano.507/0.2530Hectare and gatano.509/0.9480Hectare admeasuring area of 6.588 Hectare which is registered as a private land (Category -1(a) Transferrable Land Ownership) which belongs to the respondent company as per the revenue records. Even in old revenue map (year 1366 fasli) of village Bilwa the concerned Jheel gata does not have any access or road connecting to it." A copy of report submitted by Sub District Magistrate Sadar, Bareilly and related revenue record of the four gatas, old and current revenue map is annexed herewith and marked as **Annexure R-4(Colly).**

10. That acting upon the representation of the Respondent Company, the Land Management Committee of Gram Sabha Bilwa organised an open meeting of Gram Sabha and deliberated upon the proposal. In the proposal it was submitted that two associate companies of the Respondent No.4 Company have a parcel of land admeasuring area of 56.87 sq meters situated in khasara no 501 and 651.53 sq meter situated in khasara no. 503 which can be given as gift deed to the Land Management Committee. The proposal further states that after the said transfer of land, a passage having width of five meters can be constructed and be used as a passage for the Jheel. A copy of agenda meeting of Land Management Committee is annexed herewith and marked as **Annexure R-5**

NOTARY
Munishwar Dayal
Advocate & Notary
Katchery, Bareilly (U.P.)
Reg. No. 8505
Valid Upto JUN-2026
GOVERNMENT OF INDIA

11. That the aforesaid proposal was accorded approval on 23.12.2024 wherein the Lekhpal was authorised to execute the gift deed on behalf of the Land Management Committee. The gift deed was executed on 30.12.2024. A copy of gift deed dated 30.12.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure R-6**

12. The demarcation work of the passage leading to the Jheel has been done. The passage is currently being developed by the Respondent No.4 itself.

13. That a Government Order No 33/745/1-1-2016-20(5)/2016 dated 03.06.2016 was issued by the State Government which laid down guidelines for exchange of land situated in Gram Sabha/Local Authorities. A copy of Government order Dated 03.06.2016 is annexed herewith and marked as **Annexure R-7.**

14. That in the interest of justice the present additional affidavit may be taken on record by this Hon'ble Tribunal.

NOTARY
Munishwar Dayal
Advocate & Notary
Katchery, Bareilly (U.P.)
Reg. No. 8505
Valid Upto JUN-2026
GOVERNMENT OF INDIA

DEPONENT

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

On this 25 day of Jan, 2025.

DEPONENT

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 745 OF 2024

NOTARY NOTARIAL NOTARIAL Munishwar Dayal Advocate & Notary Katchery, Bareilly (U.P.) Reg. No. 8505 Valid Upto JUN-2026 GOVERNMENT OF INDIA

IN THE MATTER OF:

SiyaRam Mandal ...Applicant

Versus

Eldico Company & Ors. ...Respondent(s)

AFFIDAVIT

I, Ravindra Kumar aged about 43 years presently posted as District Magistrate Bareilly, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and declare as under-

115
25/01/25

1. That I am fully acquainted with the facts and circumstances and records of the case and thus competent to swear the present affidavit.

2. That the contents of the accompanying reply have been prepared under my instructions and have been understood by me and I declare the same to be true and correct to my knowledge of facts and law.

3. The contents as stated above are true and correct to my knowledge and belief.

NOTARY Munishwar Dayal Advocate & Notary Katchery, Bareilly (U.P.) Reg. No. 8505 Valid Upto JUN-2026 GOVERNMENT OF INDIA

Certified By Shri Ravindra Kumar
Identified By Shri
Sworned and Confirmed the Contents of the Affidavit in my Presence At Bareilly Date 25/01/25
And Further Understood The Contents

Munishwar Dayal
Advocate & Public Notary
Katchery, Bareilly (U.P.)

Verification

It is verified at Bareilly on dated 25-1-25 that the contents of the present application are true and correct and nothing has been concealed there from.

Verified by me on this 25 day ofJan, 2025.

DEPONENT

(Ann - R-1)

Item No.15 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 745/2024

Siyaram Mandal Applicant

Versus

Eldico Company & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 03.10.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Ms. Simran Gill, Mr. Parvez Alam & Mr. Sarthak, Advs

Respondents: Mr. Ankit Verma, Adv. for the State of Uttar Pradesh
Mr. Arvind Kumar, Adv. for UPPCB
Mr. Rohit Nagpal & Mr. Swetabh Kumar, Advs. for R - 4

ORDER

1. In this Original Application, registered on the basis of a letter petition, the grievance is that Gata No. 506 of village Bilwa Pargana, Tehsil and District Bareilly is registered as a lake. But the land mafia has illegally captured it and are in the process of the developing a colony thereon. The Tribunal on 10.07.2024 had impleaded Respondents including the project proponent.

2. Response on behalf of the UP PCB dated 25.09.2024 has been filed disclosing that the ponds in question in the revenue record exist in an area of 0.1260 hectares. The stand of the UP PCB in the reply in this regard is as under:-

also informed that Gala number 508/0.1260 hectare Jheel (lake) is situated just near boundary of current sanctioned/approved map of Eldeco township, the depth of the pond is very less or shallow depth approx. 1 to 3 feet. True copy of letter of Revenue Department is annexed herewith as Annexure R 1/4."

3. The District Magistrate, Bareilly has also filed the reply dated 26.09.2024 disclosing that a Committee was formed for field inspection and submitting the report which carried out the inspection on 10.09.2024 and submitted the report disclosing as under:-

> *"According to the report submitted by the aforesaid committee, Gata No. 508, area 0.126 hectare is currently recorded as jheel in the Revenue Records, which is surrounded by a temporary boundary wall constructed by Eldico Infrabuild Ltd. Some amount of construction and demolition waste was also found dumped in the jheel. The said jheel is neither part of map of Eldico Township approved by Bareilly Development Authority, nor it is listed in the list of wetland of Bareilly. (The report of Committee is annexed as Annexure – 2).*
>
> *During the inspection, representative of Eldico Infrabuild Limited Mr. Sandeep Chawla, Vice President, was verbally suggested by ADM (F/R) on the spot to submit a proposal as soon as possible for the exchange of the land of the aforesaid Jheel, so that the Jheel could be shifted outside the aforesaid boundary wall, but Mr. Sandeep Chawla did not submit any proposal even after one week inspite of several verbal reminder by Additional District Magistrate (F/R) Bareilly."*

4. The response of the District Magistrate, Bareilly also mentions the proposal of Respondent No. 4 for the exchange of land of the pond so that the pond can be shifted outside the boundary wall and refers to the proposal dated 20.09.2024 to exchange the land of the pond with the private land of Respondent No. 4. The Reply of the District Magistrate, Bareilly mentions about the guidelines of the State Government in this regard but no Annexure-5 stated to be said guideline has been placed on record with the response.

6. We also find that the report submitted by the UP PCB and District Magistrate, Bareilly do not disclose full information. The District Magistrate, Bareilly is directed to file further report disclosing under which provision exchange of the pond land can be permitted and also the revenue map of the pond in question and the passage shown in the old revenue maps for approaching the pond.

7. The report by the District Magistrate, Bareilly discloses that Construction and Demolition (C&D) waste has been dumped in the pond. The report of the UP PCB does not disclose any action against the said violation.

8. Learned Counsel for the UP PCB has fairly stated that till now no action has been initiated for such violation. The UP PCB is directed to file a fresh further report disclosing the action taken against the person responsible for dumping of the C&D waste in the pond in question.

9. Let the fresh report be filed by the District Magistrate, Bareilly and UP PCB within four weeks.

10. The District Magistrate, Bareilly in his report will also disclose the details of the catchment area of the pond and source of water to it.

11. Respondents are directed to serve a copy of the reply already filed to the Counsel for the Applicant within three days.

12. List on 30.01.2025.

-10-

Arun Kumar Tyagi, JM

October 03, 2024
O.A. No. 745/2024
A..

Dr. A. Senthil Vel, EM

S.NO.	PARTICULARS
1.	[illegible]
2.	[illegible]
3.	[illegible] 12.08.2024 [illegible]
[illegible]	[illegible]

POPULAR INFRATECH PRIVATE LIMITED

दिनांक: 16.12.2024

सेवा में,
श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,

बरेली,
उत्तर प्रदेश

विषय: अपनी निजी भूमि श्रेणी-1क गाटा संख्या 501 रकवा 56.87 वर्गमीटर एवं गाटा संख्या 503 रकवा 651.53 वर्गमीटर को दान पात्र द्वारा ग्राम पंचायत के नाम कराने के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

आपसे निवेदन है कि हमारी गाटा संख्या 501 रकवा 56.87 वर्गमीटर एवं गाटा संख्या 503 रकवा 651.53 वर्गमीटर भूमि खाली पड़ी है।

पॉपुलर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड खसरा संख्या 503 की संपूर्ण मालिक है, जबकि मार्स बिल्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड खसरा संख्या 501 के सह-मालिक हैं। हम खसरा संख्या 501 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का उपयोग करने हेतु आवश्यक सहमति/अनुमति प्रस्तुत करेंगे। खसरा संख्या 501 और 503 की नवीनतम खतौनी को अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है।

हम उक्त गाटा संख्याओं पर रास्ते के विकास हेतु ग्राम पंचायत के नाम दान पात्र द्वारा कराना चाहते हैं। दान पात्र द्वारा रजिस्ट्री कराने हेतु ग्राम पंचायत को ब्लॉक द्वारा नामित अधिकारी दिलाने का कष्ट करें, जिससे उपरोक्त ग्राम / रकवा की दान पात्र रजिस्ट्री कराई जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि गाटा संख्या 503 रकवा 56.87 वर्गमीटर एवं गाटा संख्या 503 रकवा 651.53 वर्गमीटर को दान पात्र द्वारा रजिस्ट्री कराने हेतु किसी अधिकारी को नामित कर अधिकृत करने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

सधन्यवाद,
पॉपुलर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से

Sachin Singh.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सचिन सिंह

संलग्न: जैसा कि ऊपर बताया गया है

-12-

ELDECO

25th November, 2024

To,
District Magistrate,
Bareilly,
Uttar Pradesh

Reference: **Our Proposal dated 09.11.2024**

Subject: **Development of Rasta from Jheel (Khasra No. 508) to Gram Samaj Land, situated at Village Bilwa, Bareilly**

Respected Sir,

We refer to our earlier communication regarding the proposal for the development of a Rasta with a width of 5 metres, connecting the Jheel (falling under Khasra No. 508) situated in Village Bilwa, Bareilly to the nearest Chakroad.

We are confident that the development of this Rasta will prove beneficial not only to us but also to the public at large. We hope that due consideration will be given to the our aforesaid proposal and request approval at the earliest.

In the interim, we request that you inform us of the necessary procedural steps and documentation required for the formal transfer of the land falling in the proposed Rasta, once the proposal is accepted.

We look forward to your positive response and remain at your disposal for any further information or clarification.

Thanking you

Yours sincerely,
For **Eldeco Infrabuild Limited**

Authorised Signatory

Mr. Sandeep Kumar Chawla
Vice President
9837394111

ELDECO INFRABUILD LIMITED
(Formerly known as Apollo Infracon Limited)

Regd. Off. & Communication Off. : 201-212, 2nd Floor, Splendor Forum, Jasola District Centre, New Delhi-110025 CIN : U70109DL2006PLC151806
Tel.: 011-40655000, 40655100, 46503900 Fax: 011-40655111 E-mail: contact@eldecoproperties.com Website: www.eldecocity.com

384
आशीष

कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली।

पत्रांक 582 /सात–डी0एल0आर0सी0/2024 दिनांकः 19.12.2024

201
NT.13

विषयः– पापुलर इन्फ्राटेक लिमिटेड एवं मार्स बिल्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपनी निजी भूमि श्रेणी–1क गाटा संख्या 501 रकवा 56.87 वर्गमीटर एवं गाटा संख्या 503 रकवा 651.53 वर्गमीटर का दान पात्र द्वारा ग्राम पंचायत के नाम रजिस्ट्री कराने के सम्बन्ध में।

उपजिलाधिकारी (सदर)
बरेली।

कृपया उपर्युक्त विषयक पापुलर इन्फ्राटेक लिमिटेड एवं मार्स बिल्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी, सचिन सिंह के प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र दिनांक 16.12.2024 (मूलरूप में समस्त संलग्नकों) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत उल्लिखित कर अवगत कराया गया है कि उनकी निजी भूमि श्रेणी–1क गाटा संख्या 501 रकवा 56.87 वर्गमीटर एवं गाटा संख्या 503 रकवा 651.53 वर्गमीटर भूमि खाली पड़ी है। पॉपुलर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड खसरा संख्या 503 की सम्पूर्ण मालिक है, जबकि मार्स बिल्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड खसरा संख्या 501 के सह–मालिक हैं। हम खसरा संख्या 501 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का उपयोग करने हेतु आवश्यक सहमति/अनुमति प्रस्तुत करेंगे। खसरा संख्या 501 और 503 की नवीनतम खतौनी की छायाप्रति को संलग्न किया गया है। पत्र में यह भी उल्लिखित किया गया है कि उक्त गाटा संख्याओं पर रास्ते के विकास हेतु ग्राम पंचायत के नाम दान पात्र द्वारा करना चाहते हैं। गाटा संख्या 501 रकवा 56.87 वर्गमीटर एवं गाटा संख्या 503 रकवा 651.53 वर्गमीटर का दान पात्र द्वारा रजिस्ट्री कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः पापुलर इन्फ्राटेक लिमिटेड एवं मार्स बिल्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी, सचिन सिंह का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र दिनांक 16.12.2024 में वर्णित बिन्दुओं के कम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि (मूलरूप में)।

अपर जिलाधिकारी(प्र0),
बरेली।

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी महोदय, बरेली को सादर अवलोकनार्थ।

No- 980-(4)/ST

अपर जिलाधिकारी(प्र0),
बरेली।

रे0 नि0

उप जिलाधिकारी (सदर)
बरेली
19/12/24

1574/Rc
Very Important
NT स्वयं आगए
(Bhojipura)
20/12/24

कार्यालय तहसीलदार सदर, जिला बरेली।

पत्रांक– /रा0नि0का0–2024 दिनांक–21.12.2024

विषयः–पापुलर इन्फ्राटेक लिमिटेड एवं मार्स बिल्ट टेक प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अपनी निजी भूमि श्रेणी–1क गाटा संख्या 501 रकबा 56.87 वर्गमी० एवं गाटा संख्या 503 रकबा 651.53 वर्गमी० का दान पात्र द्वारा ग्राम पंचायत के नाम रजिस्ट्री कराने के सम्बंध में।

श्री महेन्द्र पाल,
लेखपाल क्षेत्र विलवा/सचिव भूमि प्रबन्धक
समिति बिलवा तहसील सदर बरेली।

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी महोदय बरेली के पत्र संख्या 582/सात–डी०एल०आर०सी०/2024 दिनांक 19.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पापुलर इन्फ्राटेक लिमिटेड एवं मार्स बिल्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी, सचिन सिंह के प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र दिनांक 16.12.2024 (मूलरूप में समस्त संलग्नकों) के अंतर्गत उल्लिखित कर अवगत कराया गया है कि उनकी निजी भूमि श्रेणी–1क गाटा संख्या 501 रकवा 56.87 वर्गमीटर एवं गाटा संख्या 503 रकवा 651.53 वर्गमीटर भूमि खाली पड़ी है। पॉपुलर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड खसरा संख्या 503 की सम्पूर्ण मालिक है, जबकि मार्स बिल्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड खसरा संख्या 501 के सह–मालिक हैं। हम खसरा संख्या 501 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का उपयोग करने हेतु आवश्यक सहमति/अनुमति प्रस्तुत करेंगे। खसरा संख्या 501 और 503 की नवीनतम खतौनी की छायाप्रति को संलग्न किया गया है। पत्र में यह भी उल्लिखित किया गया है कि उक्त गाटा संख्याओं पर रास्ते के विकास हेतु ग्राम पंचायत के नाम दान पात्र द्वारा करना चाहते हैं। गाटा संख्या 503 रकवा 56.87 वर्गमीटर एवं गाटा संख्या 503 रकवा 651.53 वर्गमीटर का दान पात्र द्वारा रजिस्ट्री कराये जाने का अनुरोध किया गया है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बरेली महोदय द्वारा संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2024 में वर्णित बिन्दुओं के कम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः प्रदत्त निर्देश के अनुपालन में संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2024 में वर्णित बिन्दुओं के कम में प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आपको नामित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अविलम्ब/तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही उपरांत कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार,
सदर बरेली।

15-

कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली।

पत्रांक : 167 /एस0टी0–2025 दिनांक : 07 जनवरी, 2025

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 745/20245 सियाराम मण्डल बनाम् एल्डिको कम्पनी एवं अन्य में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किए जाने के सम्बन्ध में।

तहसीलदार
सदर–बरेली।

ओ0ए0 745/20245 सियाराम मण्डल बनाम् एल्डिको कम्पनी एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत प्रश्नगत् प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय बरेली की ओर से दिनांक 30.01.2025 से पूर्व प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप श्री अंकित वर्मा, शासकीय स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली (मो0नं0–9990804440) से सम्पर्क स्थापित कर मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2024 में दिए गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय बरेली की ओर से रिपोर्ट तैयार कराना सुनिश्चत करें, ताकि जिलाधिकारी महोदय बरेली की ओर से निर्धारित तिथि में रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल किया जा सके। प्रकरण में शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नक : आदेश दिनांक 03.10.2024 की प्रति।

07/01/25
(संतोष बहादुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),
बरेली।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी महोदय बरेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री अंकित वर्मा, शासकीय स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),
बरेली।

महोदय,

संलग्न पत्रांक 167/एस0टी0–2025 दिनांक 07.01.2025 विषय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर O.A 745/2024 सियाराम मण्डल बनाम एल्डिको क0 एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विचाराधीन वाद में आख्या अपेक्षित है।

अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर O.A 745/2024 में दिनांक 10.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली द्वारा गठित समिति के द्वारा दिनांक 10.09.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया था, जिसमें स्थल पर एल्डिको कम्पनी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे (संलग्नक–1)। स्थलीय निरीक्षण में यह पाया गया कि ग्राम बिलवा परगना व तहसील बरेली में स्थिल झील गाटा संख्या 508/0.126 हे0 राजस्व अभिलेखों में चारो तरफ से गाटा संख्या 500, 503, 507 तथा 509 से घिरी है, जो संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा एल्डिको कम्पनी द्वारा अधिगृहित है। गाटा संख्या 508/0.126 हे0 (झील) तक पहुंचने हेतु पूर्व से ही कोई चकमार्ग/रास्ता अभिलेखों में दर्ज नहीं है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि ग्राम विलवा के सन् 1366फ0 के राजस्व नकशे में भी झील के गाटा तक पहुचने हेतु कोई चकमार्ग/रास्ता दर्ज नही है। गाटा संख्या 508/0.126 हे0 का जलग्रहण क्षेत्र(Catchment Area) उथला है (लगभग 1–3 फिट) तथा यह मुख्यतः वर्षा जल पर आधारित है। कोई स्थायी जल स्त्रोत नहीं है।

उक्त स्थलीय निरीक्षण के कम में प्रतिनिधि एल्डिको कम्पनी द्वारा जिलाधिकारी बरेली से पत्राचार किया गया तथा झील के विकास एवं संरक्षण हेतु प्रस्तावों पर विमर्श किया गया। एल्डिको कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा प्रेषित विनिमय प्रस्ताव पर मंथनोपरान्त यह पाया गया कि यह एक दीर्घ प्रकिया है तथा झील का किसी अन्य गाटे से विनिमय करने के कारण इसके मूल प्राकृतिक स्वरूप खण्डित होने की आशंका है। अतः झील की पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनिवार्यता हेतु झील गाटा संख्या 508 से लगे हुये गाटा सं0 503 तथा 501 में से कुल रकवा 708 वर्ग मीटर का दानपत्र ग्राम सभा के नाम करने की अनुमति एल्डिको कम्पनी के द्वारा मांगी गयी। उक्त कम में भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम विलवा की एजेण्डा बैठक दिनांक 16.12.2024 को आहुत की गयी तथा दिनांक 23.12.2024 को भूमि प्रबन्धक समिति की खुली बैठक में सर्व सहमति से यह प्रस्ताव पारित

तहसीलदार (सदर) बरेली उप जिलाधिकारी (सदर) बरेली

किया गया कि पापुलर इन्फ्राटेक लिमिटेड एवं मार्स विल्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपनी निजी भूमि श्रेणी–1क गाटा सं0 501 क्षे0 56.87 वर्ग मी0 (0.0057है0) एवं गाटा सं0 503 क्षे0 651.53 वर्ग मी0 (0.0652 है0) का दान पत्र द्वारा ग्राम पंचायत विलवा के नाम कराने हेतु सचिव/लेखपाल भू0प्र0 समिति ग्राम पंचायत विलवा को अधिकृत किया जाता है कि सचिव भू0प्र0 समिति ग्राम पंचायत विलवा के वर्तमान लेखपाल दानपत्र द्वारा रजिस्ट्री कराये तथा सरकारी अभिलेखों में नाम दर्ज कराये (संलग्नक–2)। प्रस्ताव के अनुपालन में दिनांक 23.12.2024 को एक रजिस्टर्ड दानपत्र भूमि प्रबन्ध समिति ग्राम विलवा परगना तहसील व जिला बरेली द्वारा सचिव क्षेत्रीय लेखपाल महेन्द्र पाल पुत्र श्री श्याम लाल निवासी 47 ग्राम ललुईया नगला बदायूँ बोंद्री भूरा भदरौल उत्तर प्रदेश के नाम कर दिया गया है (संलग्नक–3)। उक्त दानपत्र के आधार पर झील गाटा संख्या 508 तक आम जनमानस के पहुंचने हेतु एक रास्ता ग्राम घंघोरा पिपरिया के चकमार्ग गाटा सं0 908 से सीधा जुड जायेगा(संलग्नक–4 नजरी नक्शा)। उक्त प्रस्तावित मार्ग को विकसित करने हेतु सचिन सिंह पुत्र श्री हरेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी ग्राम ककरारी पो0 पाटन जिला उन्नाव, मार्स बिल्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड (यहां मार्स) (कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 201–212, दूसरी मंजिल, स्प्लेंडर फोरम, जिला केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली–110025 है), व पॉपुलर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (यहां पापुलर) (कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 201–212, दूसरी मंजिल स्प्लेंडर फोरम, जिला केंद्र जसोला नई दिल्ली 110025 है) द्वारा यह शपथ पत्र दिया गया है (संलग्नक–5), जिसके उपरान्त झील गाटा सं0 508 तक आम जनमानस के आवागमन हेतु मार्ग सुलभ हो जायेगा तथा झील की पारिस्थतिकी अवस्था अक्षुण रहेगी। आख्या सादर प्रेषित है।

15/1/25

15/01/25
तहसीलदार (सदर)
बरेली

15/01/25
उप जिलाधिकारी (सदर)
बरेली

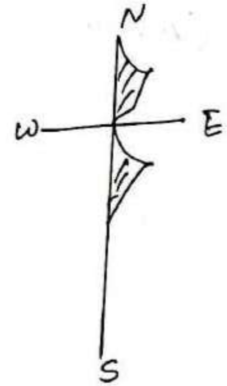

नजरी नक्शा

ग्राम - बिलवा   परगना - बरेली   तहसील - बरेली   जिला - बरेली

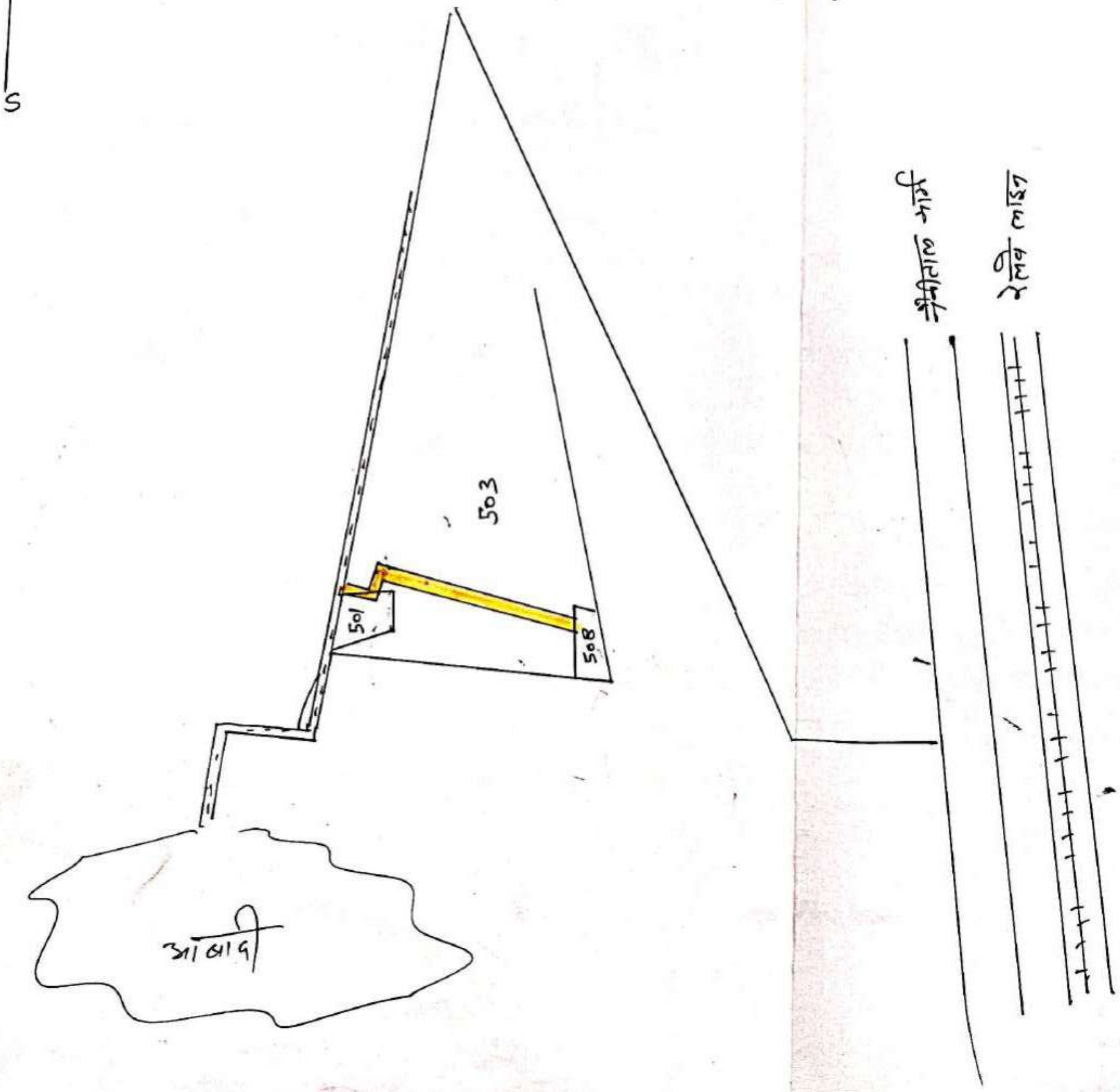

शीलको द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति बिलवा को दान पत्र किया क्षेत्रफल

गाटा 501 = 11.2×5
= 56 वर्ग मी

गाटा स 503 = 130.4×5
= 652

गाटा 508 — झील

महेन्द्रपाल
लेखपाल

महेन्द्र पाल

-2-

नं० ५३

नक्शा किश्तवार

ग्राम बिलवा

परगना व तहसील व जिला बरेली

पैमाना बहिसाब फ़ी मील १६ इंच

बाबत सन् १३६६ फ० मुताबिक़

सन् १९५८ व ५९ ई०

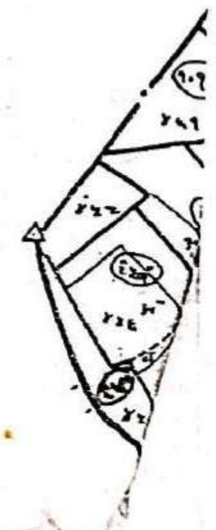

ब्रेली

ारा पिपरिया

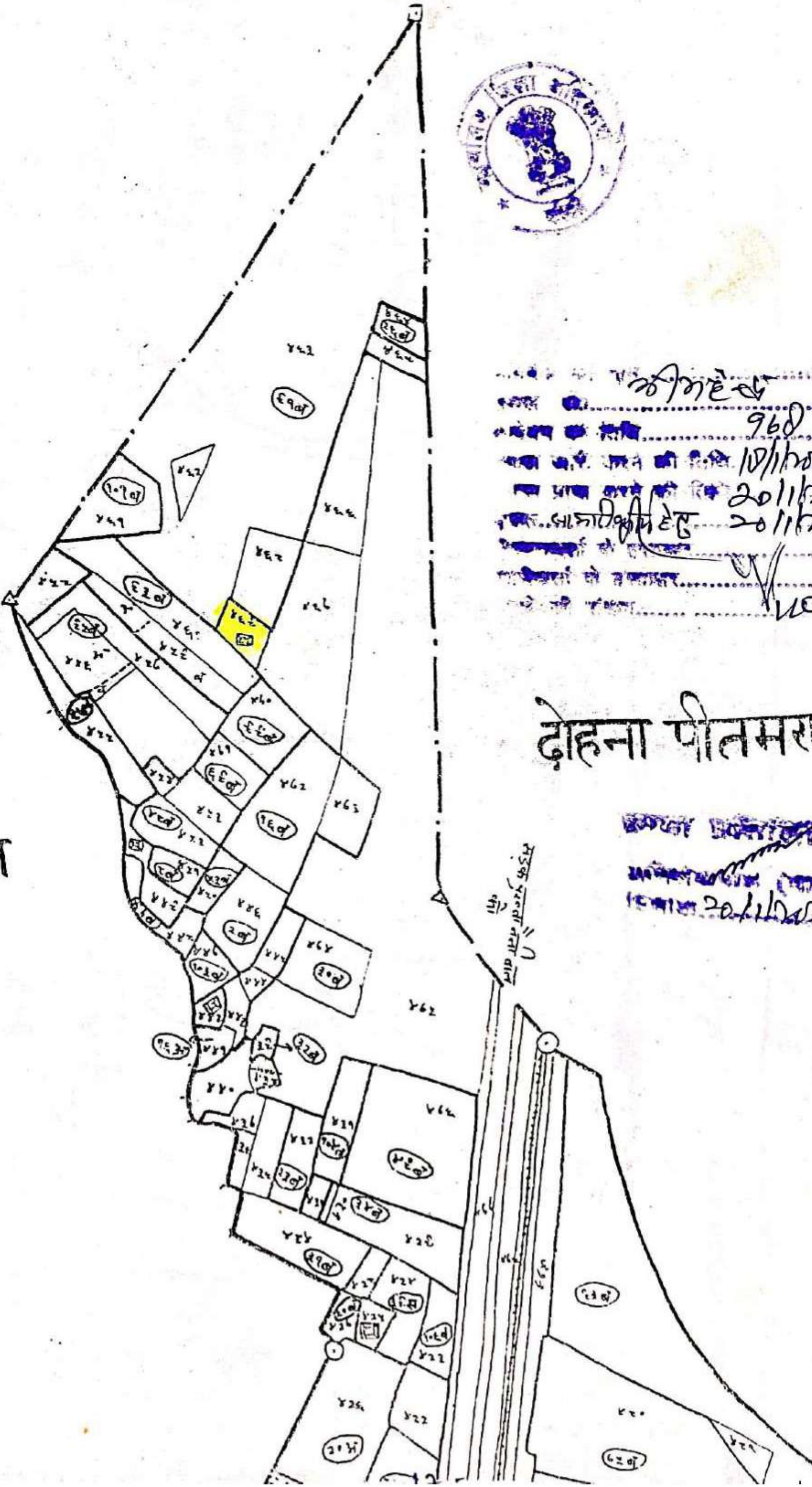

दोहना पीतमराय

-22-

भूचित्र

ग्राम - बिलवा

परगना व तहसील बरेली

ज़िला - बरेली

सन् चकबन्दी : १३५८ फ़सली

तदनुसार

सन् १९५०-५१ ई०

न्यायालय अपर कलेक्टर (प्र०) बरेली मु०नं० 15/16 दि० 20-6-2016
शमशुद्दीन बनाम राजेन्द्र शर्मा आदि धारा 34 या० संहिता ग्राम-बिलवा तहसील
व जिला-बरेली के आदेशानुसार गाटा सं० 455 को गाटा सं० 456 की दक्षिणी
मेंड़ पर पूरब में 12-14 मी० व पश्चिम में भुजा मीटर गाटा सं० 455 को दिया
गया तथा गाटा सं० 456 की उत्तरी मेंड़ के समानान्तर गाटा सं० 457 की दक्षिणी
मेंड़ पर पूरब व पश्चिम में 10-06 मी०-10-06 मी० गाटा सं० 456 को दिया

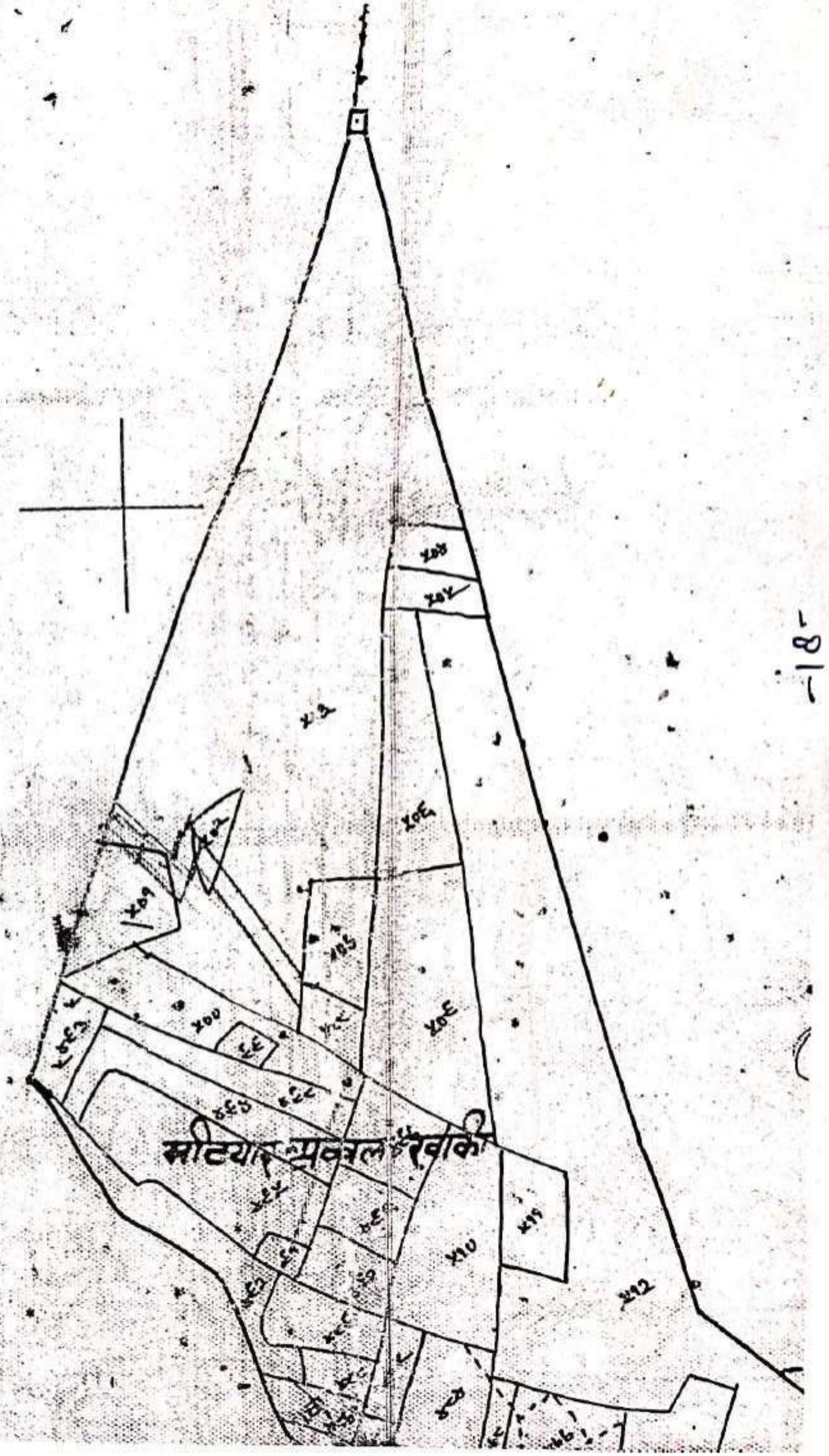

-23 [R-4]

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 13022920250143

ग्राम क्रमांक : 130229 ग्राम का नाम (परगना) : विलवा(बरेली) तहसील : बरेली जनपद : बरेली फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)
भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00247

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ग	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
507	श्रीमती मिथलेश कुमारी / श्याम विहारी लाल / नि0 आलमगिरी गंज बरेली अरविन्द कुमार / राजेन्द्र कुमार / नि0 65 राधेश्याम इन्कलेव सि0ला0बरेली		पू1398	507(1302290507000012)	0.2530			0.00

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव दो पाँच तीन शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता /	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

-81-

	जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)					

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1428 फ० न्यायालय तहसीलदार सदर बरेली वाद सं० RST/117/2011-2012 व कंप्यूटरीकृत वाद सं० T202012130104700 ग्राम विलवा पर०तह० व जिला बरेली के उद्धरण खतौनी फ० वर्ष 1422-1427 के गाटा सं० 502 रकवा 0.1140हे० व 503 रकवा 4.8560हे० व गाटा सं० 505 रकवा 0.1140हे० व गाटा सं० 507 रकवा 0.2530हे० कुल किता 4 कुल रकवा 5.3370हे० का 1/2 भाग यानि 2.6685हे० से विक्रेता अरविन्द कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी राधेश्याम इन्कलेव बरेली खुद व मुख्यारआम अनन्त चेतन अग्रवाल पुत्र अरविन्द अग्रवाल निवासी 65 राधेश्याम इन्कलेव सिविल लाइन्स बरेली व गाटा सं० 498ख रकवा 0.2780हे० व गाटा सं० 499 रकवा 0.0510हे० व गाटा सं० 500 रकवा 0.5310हे० कुल किता 3 कुल रकवा 0.8600हे० से विक्रेता अनन्त चेतन अग्रवाल पुत्र श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल व अतुल कुमार उर्फ अतुल गोयल पुत्र स्व० महेन्द्र कुमार व श्रीमती अलिन्दा हौला पुत्री स्व० महेन्द्र कुमार व गाटा सं० 498क रकवा 0.0760हे० से विक्रेता अनन्त चेतन अग्रवाल व अतुल कुमार उर्फ अतुल गोयल व श्रीमती अलिन्दा हौला व मिस सर्वेश कुमारी गोयल के नाम पृथक करके क्रेता पापुलर इन्फ्राटेक प्रा०लि० 25 गुल मोहर पार्क बरेली द्वारा निदेशक धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता स्व० मुंशीलाल गुप्ता निवासी 25 गुलमोहर पार्क बरेली का नाम उन्ही भौमिक अधिकारों बैनामा दिनांक 25.10.2011 के आधार पर दर्ज हो । ह०र०क० 14.10.2020/16.10.2020

Data Digitally Signed by: RADHE SHYAM (REGISTRAR KANOONGO) **दिनाँक/समय/स्थान: 20-01-2025 02:31:14 तहसील : बरेली** ❶ यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	**मुद्रित कर्ता : SUBHASH CHANDRA तहसील : बरेली** **मुद्रित दिनांक एवं समय: 20-01-2025 02:31:14** ❶ Not Applicable For Online Prints ❶ उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 13022920250144

ग्राम क्रमांक : 130229 ग्राम का नाम (परगना) : विलवा(बरेली) तहसील : बरेली जनपद : बरेली फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)
भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00004

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
509	1) अतुल कुमार/महेन्द्र कुमार/नि0 बरेली		पू1398	509(130229050900012)	0.9480	1) 1/1	1) 0.9480	0.00
							0.9480	

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव नौ चार आठ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - शून्य दशमलव नौ चार आठ शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1418फ0, माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा F.A.F.O.D.No. 627/2011 R.C. Infra Project Pvt. Ltd. वनाम Dr. Mahendra Kumar Goyal And others में पारित आदेश दिनांक 26.4.11 के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश तहसीलदार सदर बरेली आदेश दि0

2) 2.5.11 के अनुपालन में /आदेश हुआ कि "Till further orders of this court, the defendant - respondents are restrained from inter fering with the possession of the plain tiff - appellant. However, the appellant will neither make any construction over

3) the property in dispute nor change its nature. He will also neither transfer the land nor take any loan on the same. Sd. Yatindra singh ,(J) . Sd. Vikram Nath(J) o f0 26.4.11/ह0र0क0 2.5.11/ 2.5.11

4) 1422फ0, माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद F.A.F.O. no. 627/2011/of0 26.5.2014/ पर पारित आदेश तहसीलदार सदर बरेली दि0 29.12.14 के अनुसार /गा0सं0 476,477,506,509,512,513/ R.C. इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 वनाम महेन्द्र कुमार गोयल आदि / आदेश हुआ कि Sri K.D. Tripathi,

5) learned counsel for the appelant, submits that the parties have compromised the matter outside the court and that the appellant does not wish to press the appeal. In view of the above the appeal is dismissed as not pressed. The interim order, if any, stands

6) discharged. Honble Manoj Misra(J) / order date 26.5.14/ ह0र0क0 29.12.14/ 30.12.14

7) 1423फ0 न्यायालय तहसीलदार सदर बरेली वाद स0 टी 20161213012436 दि0 17.6.16 को आदेश हुआ कि खाता स0 3 के गाटा स0 506/ 0.4430 हे0 व 509/0.9480 हे0 व 512मि / 3.3570 हे0 लगान 60ख के अनुसार सम्पूर्ण भाग विक्रेता डा0 महेन्द्र कुमार गोयल पुत्र स्व0 श्याम

8) बिहारी लाल नि0 35ए / 100 रामपुर बाग बरेली मुख्यारेआम अतुल गोयल पुत्र डा0 महेन्द्र कुमार गोयल नि0 35ए /100 रामपुर बाग बरेली का विक्रीत 4.748 हे0 से निरस्त कर क्रेता मै0 बनयान इन्फ्रा कान प्रा0लि0 25 गुलमोहर पार्क बरेली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि इन्द्रजीत भाटिया पुत्र श्री खीर चन्द्र भाटिया

9) नि0 2 ए शाहाना कालोनी बरेली का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनंाक 21.1.11 के आधार पर दर्ज हो । ह0र0क0 18.6.16/18.6.16

10) 1423फ0 न्यायालय तहसीलदार सदर बरेली वादस0टी 20161213012435 दि0 17.6.16 कोआदेश हुआ कि खाता स0 3 के गाटा स0 476/0.7210 हे0 व 477/0.3600हे0 व 513/0.0690 हे0 व 512मि /0.3040 हे0 लगान 60ख के अनुसार सम्पूर्ण भाग विक्रेता डा0 महेन्द्र कुमार गोयल

11) पुत्र स्व0 श्याम विहारी लाल नि0 35 ए 4/100 रामपुर बाग बरेली मुख्यारेआम अतुल गोयल पुत्र डा0 महेन्द्र कुमार गोयल नि0 35ए 4/100 रामपुर बाग बरेली का नाम विक्रीत 1.4540हे0 से निरस्त कर क्रेता मै0 ग्लेज रियल टैंक प्रा0लि0 25 गुलमोहर पार्क बरेली द्वारा निदेशक बरजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री

12) बहादुर सिंह नि0 51एफ वाटिका सन सिटी विस्तार बरेली का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दि0 21.1.11 के आधार पर दर्ज हो । ह0र0क0 18.6.16/ 18.6.16

13) 1424फ0 न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर बरेली अपील सं0 13487/16 दि0 22.9.16 धारा 35 (2)राजस्व संहिता 2006 अतुल कुमार वनाम मै0 ग्लेज रियल टैक प्रा0लि0 द्वारा प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश नायब तह0 भोजीपुरा बरेली आदेश दि0 19.1.17 के अनुपालन में आदेश हुआ कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपील स्वीकार की जाती है । अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 17.6.16 को निरस्त किया जाता है । ह0र0क0 19.1.17/23.1.17

14) 1424फ0 न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर बरेली अपील सं0 13488/16 दि0 22.9.16 धारा 35 (2)राजस्व संहिता 2006 अतुल कुमार वनाम मै0 वनयान इन्फ्रा कान प्रा0लि0 द्वारा प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश नायब तह0 भोजीपुरा बरेली आदेश दि0 19.1.17 के अनुपालन में आदेश हुआ कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपील स्वीकार की जाती है । अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 17.6.16 को निरस्त किया जाता है । ह0र0क0 19.1.17/23.1.17

15) 1424फ0 न्यायालय तहसीलदार न्यायिक सदर बरेली वाद स0 टी 20151213016288 दि0 25.5.17 को आदेश हुआ कि गाटा स0 476/0.721हे0 व 477/0.360 हे0 व 506/0.443 हे0 व 509/0.948 हे0 व 512/3.661 हे0 व 513/0.069 हे0 कुल 6 किता कुल रकवा 6.202 हे0 से विक्रेता अतुल कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार नि0 सुर्खा बानखाना बरेली का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.8.10 के आधार पर सम्पूर्ण भाग से पृथक होकर आरसी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 द्वारा अनिल कुमार रस्तोगी प्रबन्ध निदेशक का नाम वतौर स0भू0 दर्ज हो । आपत्ति दिनांक 8.6.11 द्वारा ग्लैज रियल टेक प्रा0लि0 द्वारा बरजीत सिंह निदेशक व मैसर्स बनयान इन्फ्राकान प्रा0लि0 द्वारा इन्द्रजीत भाटिया बलहीन होने के कारण व आपत्ति मुनीश कुमार पुत्र धनपाल सिंह नि0 कौढा दिनांक 21.7.11 व 29.8.11 व आपत्ति चरन सिंह पुत्र धनपाल सिंह दिनांक 13.10.10 व आपत्ति अतुल कुमार पुत्र महेन्द्र गोयल दि0 19.10.10 व आपत्ति दुर्गपाल सिंह दिनांक 29.1.01 चकबन्दी अधिनियम की धारा 49 से बाधित होने के कारण तथा औपचारिकतायों पूर्ण न होने के कारण निरस्त की जाती है । ह0र0क0 25.5.17/25.5.17

16) 1424फ0 न्यायालय तहसीलदार न्यायिक सदर बरेली पत्रांक 146/एम0जे0 -2 दि0 25.5.17 को आदेश हुआ कि वाद सं0 टी 20151213016288 अर्न्तगत धारा 34/35 उ0प्र0रा0स0 -2006 ग्राम विलवा तह0 व जिला बरेली ,

-27

आरसी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 वनाम अतुल कुमार सम्बन्धी आदेश दि0 25.5.17 पारित किया गया था । इस सम्बन्ध में वाद आदेश , पक्ष ग्लेज रियल टेक बनियान इन्फ्राकान प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवायी उपरान्त उक्त आदेश दिनांक 25.5.17 का क्रियान्वयन एवं प्रभाव प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक रोक लगायी जाती है । ह0र0क0 25.5.17/25.5.17

17) 1425फ0 न्यायलय श्री एन0एस0 रवि माननीय सदस्य राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ वाद सं0 REV/114/2017/बरेली आर0सी0इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 बरेली आदि वनाम बनयान इन्फ्रा कान प्रा0लि0 अर्न्तगत धारा 219 अधिनियम उ0प्र0 भू राजस्व अधिनियम 1901 आदेश तिथि 17.11.17 पर पारित आदेश ना0 तहसीलदार भोजीपुरा दिनांक 24.11.17 के अनुसार आदेश हुआ कि खाता स0 3 के गाटा स0 476,477,506,509,512,513 पर आदेश हुआ कि विधिक व तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में नामान्तरण वाद सं0 638/10-11 मैसर्स ग्लेज रियलटेक प्रा0लि0 वनाम अतुल कुमार मे पारित नामान्तरण आदेश दि0 17.6.16 एवं नामान्तरण वाद स0 639/10-11 मैसर्स बनयान इन्फ्राकान प्रा0लि0 वनाम अतुल कुमार में पारित नामान्तरण आदेश दि0 17.6.16 की पुष्टि की जाती है तथा नामान्तरण वाद स0 819/09-10 में पारित आदेश दिनांक 25.5.17 निरस्त किया जाता है । परिणाम स्वरूप अपीलीय संख्या 53/2016 अतुल कुमार वनाम मैसर्स ग्लेज रियलटेक प्रा0लि0 एवं अपील सं0 54/2016 अतुल कुमार वनाम मैसर्स बनयान इन्फ्राकान प्रा0लि0 में पारित आदेश दिनांक 22.9.16 निरस्त किये जाते है एवं परिणाम स्वरूप अपर आयुक्त (न्यायिक)बरेली मंडल बरेली के न्यायालय में विचाराधीन निगरानी सं0 201612001568/2016 एवं निगरानी सं0 201612001569/2016 को गतिमान रखे जाने का औचित्य नही है । अत दोनो निगरानियां की कार्यवाही निरस्त की जाती है । तदनुसार समस्त निगरानिया निस्तारित की जाती है । ह0र0क0 24.11.17/24.11.17

18) 1426फ० विविध प्रार्थना पत्र तहसीलदार आदेश दिनांक 21.5.2019/28.5.19/ खाता स० 3 / व आदेश तहसीलदार सदर बरेली के क्रम मे मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद केश वी०न० 3457 of 2018 के अर्न्तगत दिनांक 20.4.2018 को अतुल कुमार बनाम बोर्ड आर्फ रेवन्यू आदि मे निम्र आदेश पारित किया गया Till the next date of listing, effect and opretion of the impugned order dated 17.11.2017 passed by the respondent no . I shall remain stayed untill furtter order .ह०र०क० 28.5.19/28.5.19

19) 1427फ० Writ B No - 3457 of 2018 के सम्बन्ध मे मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 20.4.2018 के सम्बन्ध मे दिनांक 23.5.18 को आदेश हुआकि " In View of the above , the order dated 20th of April , 2018 is recalled. "ह०र०क० 20.7.19/22.7.19

Data Digitally Signed by: RADHE SHYAM (REGISTRAR KANOONGO) **दिनाँक/समय/स्थान: 20-01-2025 02:31:27 तहसील : बरेली** ❶ यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	**मुद्रित कर्ता : SUBHASH CHANDRA तहसील : बरेली** **मुद्रित दिनांक एवं समय: 20-01-2025 02:31:27** ❶ Not Applicable For Online Prints ❶ उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

कंप्यूटर कक्ष तहसील सदर बरेली

-28-

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 13022920250141

ग्राम क्रमांक : 130229 ग्राम का नाम (परगना) : विलवा(बरेली) तहसील : बरेली जनपद : बरेली फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)
भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00005

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
500	अनन्त चेतन अग्रवाल / अरविन्द कुमार अग्रवाल / नि0 65राधेश्याम इन्कलेव सि0ला0बरेली अतुल गोयल / महेन्द्र कुमार गोयल / नि० आलमगिरी गंज बरेली आलिन्दा होला / पुत्री महेन्द्र कुमार गोयल / नि० आलमगिरी गंज बरेली		पू1398	500(130229050000012)	0.5310			0.00

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव पाँच तीन एक शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन	(12) गाटे का खसरा नम्बर /	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

-24-

-29-

	नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	यूनीक कोड		अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)		

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति
(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1428 फ० न्यायालय तहसीलदार सदर बरेली वाद सं० RST/117/2011-2012 व कंप्यूटरीकृत वाद सं० T202012130104700 ग्राम बिलवा पर०तह० व जिला बरेली के उद्धरण खतौनी फ० वर्ष 1422-1427 के गाटा सं० 502 रकवा 0.1140हे० व 503 रकवा 4.8560हे० व गाटा सं० 505 रकवा 0.1140हे० व गाटा सं० 507 रकवा 0.2530हे० कुल किता 4 कुल रकवा 5.3370हे० का 1/2 भाग यानि 2.6685हे० से विक्रेता अरविन्द कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी राधेश्याम इन्कलेव बरेली खुद व मुख्यारआम अनन्त चेतन अग्रवाल पुत्र अरविन्द अग्रवाल निवासी 65 राधेश्याम इन्कलेव सिविल लाइन्स बरेली व गाटा सं० 498ख रकवा 0.2780हे० व गाटा सं० 499 रकवा 0.0510हे० व गाटा सं० 500 रकवा 0.5310हे० कुल किता 3 कुल रकवा 0.8600हे० से विक्रेता अनन्त चेतन अग्रवाल पुत्र श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल व अतुल कुमार उर्फ अतुल गोयल पुत्र स्व० महेन्द्र कुमार व श्रीमती अलिन्दा हौला पुत्री स्व० महेन्द्र कुमार व गाटा सं० 498क रकवा 0.0760हे० से विक्रेता अनन्त चेतन अग्रवाल व अतुल कुमार उर्फ अतुल गोयल व श्रीमती अलिन्दा हौला व मिस सर्वेश कुमारी गोयल के नाम पृथक करके क्रेता पापुलर इन्फ्राटेक प्रा०लि० 25 गुल मोहर पार्क बरेली द्वारा निदेशक धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता स्व० मुंशीलाल गुप्ता निवासी 25 गुलमोहर पार्क बरेली का नाम उन्ही भौमिक अधिकारों बैनामा दिनांक 25.10.2011 के आधार पर दर्ज हो । ह०र०क० 14.10.2020/16.10.2020

2) 1430फ0 न्यायालय नायब तहसीलदार भोजीपुरा बरेली वाद सं0 t202212130105585 /दि0 21.9.2022 को आदेश हुआकि "ग्राम बिलवा परगना तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतौनी फसली बर्ष 1428-1433फ0 के खाता संख्या-00006 के गाटा संख्या-335 रकवा-2.2250हे0 व खाता संख्या -00005 के गाटा संख्या -334 रकवा- 0.0290 हे0 कुल दो किता रकवा 2.2540 हे0 में से 139.29 वर्ग मीटर भूमि वय की कुल लगान 60ख के अनुसार प्रथम विक्रेता अरविन्द अग्रवाल पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार निवासी 65 राधेश्याम इंकलेव सिविल लाइन्स बरेली खुद व मुख्यारेआम अनन्त चेतन अगग्राल पुत्र श्री अरविन्द अग्रवाल निवासी 65 राधेश्याम इन्कलेव सिविल लाइन्स , बरेली व श्रीमती अलिन्दा हौला पत्नी श्री रामगोपाल हौला निवासी सर्वप्रिय बिहार न्यू दिल्ली खुद व वहैसियत मुख्यारेआम अतुल गोयल पुत्र स्व0 डा0 महेन्द्र कुमर गोयल निवासी 35-ए-4/100 रामपुर बाग, बरेली का नाम पृथक कर द्वितीय विक्रेता स्पर्श ट्रान्सपोर्ट केरियर्स प्रा0 लि0 द्वारा निदेशक दीपक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विजय कुमार अग्रवाल , निवासी 47-ए उर्मिला कॉटेज , अलखनाथ मन्दिर के सामने , बरेली व डी0 जी0 इन्फ्रा विल्ड प्रा0 लि0 द्वारा निदेशक धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री मुंशी लाल गुप्ता , निवासी 25 गुलमोहर पार्क , बरेली व श्रीमती दीपाली अग्रवाल पत्नी श्री अजय कुमार अग्रवाल , निवासी ई-1063 राजेन्द्र नगर , बरेली व अजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री द्वारिका धीश अग्रवाल , निवासी पटेल नगर, बरेली के नाम के 5585साथ तृतीय विक्रेता मुकेश कुमार सक्सेना पुत्र श्री शिव नन्दन व श्रीमती शोभा सक्सेना पत्नी श्री मुकेश कुमार सक्सेना निवासीगण 161, उमंग पार्ट-11 महानगर, बरेली के नाम निरस्त करके क्रेता श्रीमती मेघाश्री पुत्री श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता पत्नी श्री शिवेन्द्र सिंह चौहान निवासी 25, गुलमोहर पार्क बरेली के नाम उन्ही भौमिक अधिकारों में बैनामा दिनांक 22/12/2020 के आधार पर दर्ज हो। द्वितीय विक्रेता व क्रेता सहखातेदार दर्ज रहेंगे । ह0र0क0 21.9.2022/21.10.2022

3) 1431फ0 न्यायालय नायब तहसीलदार,भोजीपुरा बरेली वाद सं0- t202212130109550 /दि0 21.7.2023 को आदेश हुआकि ग्राम बिलवा परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1428-1433 के खाता संख्या- 00005 केगाटा सं0 334 रकवा 0.0290 हे0 व खाता संख्या- 00006 के गाटा सं0 335 रकवा 2.2250 हे0 में से 139.99 वर्गमी0 वय किया लगान 60ख के अनुसार विक्रेता स्पर्श ट्रान्सपोर्ट कैरियर्स प्रा0लि0 द्वारा निदेशक संजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र सरन अग्रवाल निवासी 47-ए, उर्मिला कॉटेज, अलखनाथ मन्दिर के सामने, बरेली व डी0जी0 इन्फ्रा विल्ड प्रा0लि0 द्वारा निदेशक धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री मुंशी लाल गुप्ता निवासी 25, गुलमोहर पार्क, बरेली व अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र देव निवासी ई.-1063, राजेन्द्र नगर बरेली मुख्यारेआम श्रीमती दीपाली अग्रवाल पत्नी श्री अजय कुमार अग्रवाल निवासी ई.-1063, राजेन्द्र नगर, बरेली व अजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री द्वारिका धीश अग्रवाल निवासी पटेल नगर, बरेली के नाम के साथ क्रेता श्रीमती कविता प्रसाद पत्नी श्री हरि देव कुमार निवासी 132, गायत्री नगर, निकट एयरफोर्स गेट इज्जतनगर, बरेली का नाम उन्हीं भौमिक अधिकारों में विक्रयपत्र विलेख संख्या8633 दिनांक14.06.2013 के आधार पर बतौर सहखातेदार दर्ज हो। ह0र0क0 21.7.2023/12.8.2023

Data Digitally Signed by: BRAHAMANAND SHARMA (REVENUE INSPECTOR) दिनाँक/समय/स्थान: 20-01-2025 02:30:46 तहसील : बरेली	**मुद्रित कर्ता : SUBHASH CHANDRA तहसील : बरेली** **मुद्रित दिनांक एवं समय:** 20-01-2025 02:30:46 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।		NATIONAL INFORMATICS CENTRE

-25-

87

...द्रण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा ...ारित है।		

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 13022920250142

फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)

ग्राम क्रमांक : 130229 ग्राम का नाम (परगना) : विलवा(बरेली) तहसील : बरेली जनपद : बरेली

भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00247

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
503	श्रीमती मिथलेश कुमारी / श्याम विहारी लाल / नि0 आलमगिरी गंज बरेली अरविन्द कुमार / राजेन्द्र कुमार / नि0 65 राधेश्याम इन्कलेव सि0ला0बरेली		पू1398	503(1302290503000012)	4.8560			0.00

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- चार दशमलव आठ पाँच छः शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता /	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

-32-

	जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)					

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति
(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

<u>पूर्व आदेशों का विवरण</u>

1) 1428 फ० न्यायालय तहसीलदार सदर बरेली वाद सं० RST/117/2011-2012 व कंप्यूटरीकृत वाद सं० T202012130104700 ग्राम विलवा पर०तह० व जिला बरेली के उद्धरण खतौनी फ० वर्ष 1422-1427 के गाटा सं० 502 रकवा 0.1140हे० व 503 रकवा 4.8560हे० व गाटा सं० 505 रकवा 0.1140हे० व गाटा सं० 507 रकवा 0.2530हे० कुल किता 4 कुल रकवा 5.3370हे० का 1/2 भाग यानि 2.6685हे० से विक्रेता अरविन्द कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी राधेश्याम इन्कलेव बरेली खुद व मुख्यारआम अनन्त चेतन अग्रवाल पुत्र अरविन्द अग्रवाल निवासी 65 राधेश्याम इन्कलेव सिविल लाइन्स बरेली व गाटा सं० 498ख रकवा 0.2780हे० व गाटा सं० 499 रकवा 0.0510हे० व गाटा सं० 500 रकवा 0.5310हे० कुल किता 3 कुल रकवा 0.8600हे० से विक्रेता अनन्त चेतन अग्रवाल पुत्र श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल व अतुल कुमार उर्फ अतुल गोयल पुत्र स्व० महेन्द्र कुमार व श्रीमती अलिन्दा हौला पुत्री स्व० महेन्द्र कुमार व गाटा सं० 498क रकवा 0.0760हे० से विक्रेता अनन्त चेतन अग्रवाल व अतुल कुमार उर्फ अतुल गोयल व श्रीमती अलिन्दा हौला व मिस सर्वेश कुमारी गोयल के नाम पृथक करके क्रेता पापुलर इन्फ्राटेक प्रा०लि० 25 गुल मोहर पार्क बरेली द्वारा निदेशक धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता स्व० मुंशीलाल गुप्ता निवासी 25 गुलमोहर पार्क बरेली का नाम उन्ही भौमिक अधिकारों बैनामा दिनांक 25.10.2011 के आधार पर दर्ज हो । ह०र०क० 14.10.2020/16.10.2020

Data Digitally Signed by: RADHE SHYAM (REGISTRAR KANOONGO) दिनाँक/समय/स्थान: 20-01-2025 02:31:05 तहसील : बरेली ❶ यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : SUBHASH CHANDRA तहसील : बरेली मुद्रित दिनांक एवं समय: 20-01-2025 02:31:05 ❶ Not Applicable For Online Prints ❶ उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वैरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

-28-

Date ______
Page ______

कार्यवाही

ग्राम सदस्य		
सर्वश्री लखपत सिंह	आज दिनांक 23/12/2024 को एवं एजेन्डा दिनांक-	हस्ताक्षर/निशान
ग्राम प्रधान विलवा	16/12/2024 के अनुपालन में दिन के 12 बजे ग्राम	
	पंचायत सचिवालय विलवा में एक बैठक आयोजित	
2. श्री वीर सिंह यादव	की गई। ग्राम पंचायत विलवा में कुल 13 सदस्य	वीर सिंह यादव
	हैं जिनमें से बैठक में 09 सदस्य उपस्थित है.	
	बैठक का कोरम पूरा है. बैठक की अध्यक्षता ग्राम	
3. श्री नन्हे लाल	प्रधान विलवा श्री लखपत सिंह की अध्यक्षता में	नन्हे लाल
	की गई। सर्व प्रथम पूर्व में की गई कार्यवाही को	
4. श्रीमती पिंकी यादव	पढ़कर सुनाया गया जिसका सभी उपस्थित सदस्यों	पिंकी यादव
	ने ध्वनि मत से समर्थन किया. अध्यक्ष भू० प्र०समिति	
	श्री लखपत सिंह के आदेश के क्रम में बैठक की	सन्तोष यादव
5. श्री सन्तोष यादव	कार्यवाही प्रारम्भ की गई सचिव भू० प्र०समिति	
	के द्वारा बैठक में बताया गया, कि ग्राम विलवा	
	में स्थित गाटा सं० 508 क्षे० 0.1260 है० झील के	
6. श्री रामबाबू	नाम अभिलेखों में अंकित है जिसके लिये कोई रास्ता	रामबाबू
	पहुँचने के लिये नहीं है. झील गाटा सं० 508 पर	
	आने-जाने हेतु रास्ते के लिये पापुलर इन्फ्राटेक	
7. श्री जगमाल सिंह	लिमिटेड एवं मार्स विल्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा	जगमाल सिंह
	अपनी निजी भूमि श्रेणी-1क गाटा सं०-501 क्षे०-	
	56.87 वर्गमीटर (0.0057 है०) एवं गाटा सं० 503	
8. श्रीमती पूजा	क्षे० 651.53 वर्गमीटर (0.0652 है०) का दानपत्र	पूजा
	द्वारा ग्राम पंचायत विलवा के नाम रजिस्ट्री कराने	
	हेतु श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बरेली को प्रार्थना	
9. श्रीमती कान्ती देवी	पत्र दिया है तथा साथ में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया	कान्ती देवी
	है बैठक में उपस्थित सदस्य श्री वीर सिंह यादव	
	द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि झील गाटा सं० 508	
	पर आने-जाने हेतु जो भूमि रास्ते के लिये पापुलर	
	इन्फ्राटेक लि० एवं मार्स विल्टटेक प्रा० लि० द्वारा ग्राम	
	पंचायत विलवा को दान पत्र के रूप में दी जा रही	
	है. उसकी रजिस्ट्री दानपत्र के द्वारा सचिव भू०	
	जारी - -	

10. श्रीमती किरन — किर०

प्रबन्धक समिति ग्राम सभा विलवा के नाम करा दी जाये और सरकारी अभिलेखों में उसका अंकन कर लिया जाये। जिसका उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मत से समर्थन किया। तथा अध्यक्ष प्रबन्धक समिति ग्राम पंचायत विलवा द्वारा निर्देशित किया गया कि पापुलर इन्फ्राटेक लिमिटेड एवं मार्स विल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपनी निजी भूमि श्रेणी-1क गाटा सं० 501 क्षे० 56.87 वर्गमी० (0.0057 हे०) एवं गाटा सं० 503 क्षे० 651.53 वर्गमी० (0.0652 हे०) का दान पत्र द्वारा ग्राम पंचायत विलवा के नाम कराने हेतु सचिव / लेखपाल भू० प्र० समिति ग्राम पंचायत विलवा को अधिकृत किया जाता है कि सचिव भू० प्र० समिति ग्राम पंचायत विलवा के वर्तमान लेखपाल ~~अपने~~ दानपत्र द्वारा रजिस्ट्री कराये तथा सरकारी अभिलेखों में नाम दर्ज कराये।

आज की कार्यवाही पढ़कर सुनाई गई जिसका उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष भू० प्र० समिति द्वारा सर्वसम्मत से समर्थन किया गया। अध्यक्ष जी की अनुमति से आज की कार्यवाही समाप्त की गयी।

लखपत सिंह
23/12/2024

(हस्ताक्षर)
महेन्द्र पाल
23/12/24 लेखपाल

लखपत सिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत-विलवा
वि० ख०-भोजीपुरा, बरेली

कार्यवाही

क्र०	सदस्य	कार्यवाही	हस्ताक्षर
		पूर्व एजेण्डा दिनांक 20/9/24 के क्रम में आज	हस्ताक्षर
1	पिंकी यादव	दिनांक 27/9/24 को प्राथमिक विद्यालय विलवा में 11:00 AM बजे बैठक आयोजित की गई।	पिंकी यादव
2	जगमाल सिंह	बैठक में भू० प्र० समिति के 07 सदस्य उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्री लखपत	जगमाल सिंह
3	वीर सिंह यादव	सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक का कोरम पूरा है। बैठक में पूर्व की कार्यवाही पढ़कर सुनायी गई। आगे की कार्यवाही के अन्तर्गत	वीर सिंह यादव
4	रामबाबू	भू० प्र० समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि भू० प्र० समिति के सचिव की हैसियत से मुझे एल्डिको इन्फ्रा लि० अधिकृत श्री संदीप कुमार चावला	रामबाबू
5	नन्ही देवी	का एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। जिसके आवेदक ग्राम विलवा में स्थित गाटा सं 500 रकबा 0.126 है राजस्व अभिलेखों में झील के रूप में अंकित से अपने खेत के गाटा सं० 500	नि०
6	नन्हेलाल	रकबा 0.530 हे० व 501 रकबा 0.253 हे० से विनिमय कराना चाहता है। आवेदक गाटा व	नन्हेलाल
7	सन्तोष यादव	500 व 501 में संक्रमणीय भूमिधर है। विनिमय के सम्बन्ध में भू० प्र० समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया। समिति के किसी भी सदस्य द्वारा आपत्ति नहीं की गई। विनिमय के सम्बंध में प्रस्ताव श्री जगमाल सिंह पु० भूपराम नि० ग्राम विलवा के द्वारा बैठक में प्रस्तुत किया गया। भू० प्र० समिति के उपस्थित सभी सदस्यों ने एकमत से विनिमय संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।	सन्तोष यादव
		(हस्ताक्षर) 27/9/24 सचिव भू० प्र० स०	लखपत सिंह अध्यक्ष भू० प्र० स० ग्राम विलवा

लखपत सिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत—विलवा
वि०ख०—भोजीपुरा, बरेली

-36-

(Ann-5)

आर0सी0 प्रपत्र–11
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के
अन्तर्गत भूमि के अन्तरण की रिपोर्ट

सेवा में,

तहसीलदार

नरैनी तहसील

बाँदा जिला

1. आवेदक का नाम, पितृनाम और पता : भूमि प्रबन्ध समिति ग्राम बिलावा बरौली द्वारा [illegible] पुत्र [illegible] निवासी ग्राम [illegible] बाँदा उत्तर प्रदेश

2. हस्तांतरण के द्वारा अर्जित भूमि का विवरण (क्षेत्रफल और भू–राजस्व सहित) :
आ0 नं0 501, 503 कुल रकबा 0.0708 हे0 दान किया गया ग्राम बिलावा बाँदा

3. अन्तरणकर्ता का नाम, पितृनान और पता : मारि बिल्ड्वेल प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत सचिन सिंह पुत्र प्रेम बहादुर सिंह

4. अंतरितीयों का नाम, पितृनाम और पता (यदि कोई हो) : भूमि प्रबन्ध समिति ग्राम बिलावा बाँदा

5. हस्तांतरण की प्रकृति (विकी, दान इत्यादि) : दान

6. अन्तरण विलेख के निबन्धन एवं उनके निष्पादन की तिथि 30.12.2014

7. प्रतिफल की धनराशि :

8. कोई अन्य विवरण :

दिनांक 30.12.2014

आवेदक के हस्ताक्षर

भूमि प्रबन्ध समिति ग्राम
बिलावा बाँदा

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP26802384731581W

Certificate No.	:	IN-UP26802384731581W
Certificate Issued Date	:	30-Dec-2024 03:29 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14292104/ BAREILLY SADAR/ UP-BLY
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14292104502792539958 84W
Purchased by	:	MARS BUILDTECH PVT LTD AND OTHER
Description of Document	:	Article 33 Gift
Property Description	:	LAND PART OF KHASRA NO 501,503 SITUATED AT BILWA BAREILLY
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MARS BUILDTECH PVT LTD AND OTHER
Second Party	:	BHUMI PRABHNAD SAMITI VILL BILWA
Stamp Duty Paid By	:	MARS BUILDTECH PVT LTD AND OTHER
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,26,500 (One Lakh Twenty Six Thousand Five Hundred only)

सत्यमेव जयते

₹1,26,500

Vinod Katiyar Sadar Bareilly Code-UP14292104

STAMP LOCKED BAREILLY SUB REGISTRAR-I

Please write or type below this line

Sachin Singh

QE 0013311864

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.

ई–स्टाम्प सर्टीफिकेट सं0–IN-UP26802384731581W दिनांक 30.12.2024ई.

Compared By Me
S. B. Saxena
Advocate
Jail Road, Bareilly

क्षेत्राधिकार कार्यालय उपनिबन्धक द्वितीय/प्रथम, बरेली

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

लेखपत्र का प्रकार दान पत्र कृषि भूमि

दान शुदा सम्पत्ति के सेगमेन्ट का नाम अर्द्धनगरीय क्षेत्र/पेज नं0 **66** के क्रमांक **136** के कॉलम **07** में बी0 कोड नं0 **1076**

1. मोहल्ला/ग्राम **विलवा पर0तह व जिला बरेली**
2. सम्पत्ति का विवरण **खेत नं0 501, 503**
3. सम्पत्ति का क्षेत्रफल **कुल 0.07084है0 दान किया**
4. सड़क की स्थिति
5. **सरकारी कीमत 18,07,000/–रु0**
6. **हदूदअर्वा :–**

पूरब – झील
पश्चिम – चकरोड
उत्तर – एस.टी.पी. एल्डिको सिटी
दक्षिण – खसरा नं0 499 व खसरा नं0 500

58603

प्रथम पक्ष

मार्स बिल्डटेक प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सचिन सिंह पुत्र श्री हरेन्द्र बहादुर सिह निवासी ग्राम ककरारी पो0 पाटन, पाटन बीघापुर उन्नाव उत्तर प्रदेश व पापुलर इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सचिन सिंह पुत्र श्री हरेन्द्र बहादुर सिह निवासी ग्राम ककरारी पो0 पाटन, पाटन बीघापुर उन्नाव उत्तर प्रदेश
मो0–7080126959 आ0नं0–9249,पेन–AAGCM6589D, AAFCP5729F

द्वितीय पक्ष

भूमि प्रबन्ध समिति ग्राम विल्वा पर0तह व जिला बरेली द्वारा सचिव क्षेत्रीय लेखपाल महेन्द्र पाल पुत्र श्री श्याम लाल निवासी 47, ग्राम ललुईया नंगला बदायूँ बोंद्री भूरा भदरौल उत्तर प्रदेश
मो0–9897288295 आ0नं0–3359 पेन–AXTPP2925M

Sachin Singh.

ई–स्टाम्प सर्टीफिकेट सं0–IN-UP26802384731581W दिनांक 30.12.2024ई.

2

क्षेत्राधिकार उप–निबन्धक प्रथम बरेली।

दान पत्र कृषि भूमि अर्द्धनगरीय क्षेत्र जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग पर स्थित नही है 200 मीटर की परिधि में कृषि हो रही है आबादी से दूर है पक्षकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य नही है शत्रु, नजूल, चर्च, वक्फ, सीलिंग की सम्पत्ति नहीं है, पक्षकार भारतीय है। शासनादेश सं. 2756/11–2000–500/07 दिनांक 30 जून सन् 2008 के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

सरकारी कीमत 18,07,000/–रु0 स्टाम्प 1,26,500/–रु0

हम कि मार्स बिल्डटेक प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सचिन सिंह पुत्र श्री हरेन्द्र बहादुर सिह निवासी ग्राम ककरारी पो0 पाटन, पाटन बीघापुर उन्नाव उत्तर प्रदेश व पापुलर इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सचिन सिंह पुत्र श्री हरेन्द्र बहादुर सिह निवासी ग्राम ककरारी पो0 पाटन, पाटन बीघापुर उन्नाव उत्तर प्रदेश फरीक अव्वल गिफ्ट दाता

एवं

भूमि प्रबन्ध समिति ग्राम विल्वा पर0तह व जिला बरेली द्वारा सचिव क्षेत्रीय लेखपाल महेन्द्र पाल पुत्र श्री श्याम लाल निवासी 47, ग्राम ललुईया नंगला बदायूँ बोंद्री भूरा भदरौल उत्तर प्रदेश को दिनांक 24.12.2024ई. को आयोजित भूमि प्रबन्ध समिति की गयी बैठक में दस्तावेज तहरीर तकमील कर पंजीयन कराने हेतु अधिकृत किया गया है फरीक दोयम गिफ्ट ग्रहीता

Sachin Singh.

ई–स्टाम्प सर्टीफिकेट सं0–IN-UP26802384731581W दिनांक 30.12.2024ई.

3

जो कि आराजी भूमिधरी तादादी व नम्बरी जैल वाकै ग्राम विल्वा पर0तह व जिला बरेली जिस पर फरीक अव्वल बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर के मालिक काबिज व दखील है और फरीक अव्वल का नाम राजस्व अभिलेखो में विधिवत रूप से दर्ज चला आता है तथा फरीक अव्वल ने आराजी तफसील जैल को झील जो खसरा नं0 508 में है तक जाने वाला चक रोड जो 5 मीटर चौड़ा होगा तथा झील तक लम्बा होगा जिसका कुल क्षेत्रफल 0.07084हैक्टेयर है सड़क निर्माण के लिए छोड़ी है का उपयोग फरीक अव्वल व फरीक दोयम आदि करेंगे उक्त रास्ते/चकरोड के लिए छोड़ा गया चक रोड नं0 908 से मिल जायेगा यानि फरीक दोयम को दान दी जा रही है यह दान शुदा भूमि ग्राम पंचायत को विशेष रूप से दिये जाने का उद्देश्य चक रोड से झील (खसरा नं0 508) तक सड़क बनाने के लिए है। जिसमें ग्राम प्रबन्ध समिति भविष्य में सड़क का निर्माण करायेगी और वह भूमि ग्राम समाज की मानी जावेगी फरीक अव्वल को फरीक दोयम यानि गॉव के लोगो से हार्दिक स्नेह हैं इसलिए रास्ते के निर्माण के लिए मैं फरीक अव्वल उक्त भूमि दान में दे रहा हूॅ तथा फरीक दोयम भी आराजी तफसील जैल बहैसियत भूमि प्रबन्धक के दान में ले रहे हैं मुझ फरीक अव्वल ने अपनी आराजी तफसील जैल दान शुदा से

Sachin Singh.

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 21691 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

दान दाता: 1

श्री मार्स बिल्डटेक प्रा०लि० के द्वारा सचिन सिंह, पुत्र श्री हरेन्द्र बहादुर सिंह
निवासी: ग्राम ककरारी पो० पाटन, पाटन बीघापुर उन्नाव उत्तर प्रदेश
व्यवसाय: अन्य

दान दाता: 2

श्री पॉपुलर इन्फ्राटेक प्रा०लि० के द्वारा सचिन सिंह, पुत्र श्री हरेन्द्र बहादुर सिंह
निवासी: ग्राम ककरारी पो० पाटन, पाटन बीघापुर उन्नाव उत्तर प्रदेश
व्यवसाय: अन्य

दान गृहीता: 1

श्री भूमि प्रबन्ध समिति ग्राम विलवा पर० तह० व जिला बरेली के द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल महेन्द्र पाल, पुत्र श्री श्याम लाल
निवासी: 47, ग्राम ललुईया नंगला बदायूँ बोंद्री भूरा भदरौल उत्तर प्रदेश
व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मुदित स्वरूप, पुत्र श्री अनिल कुमार सक्सेना
निवासी: सी-105/3, राजेन्द्र नगर बरेली
व्यवसाय: वकालत

पहचानकर्ता : 2

श्री विपिन पाल, पुत्र श्री महेन्द्र पाल
निवासी: सुभाष नगर बरेली
व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।
टिप्पणी :

रवि प्रकाश वर्मा
उप निबंधक : सदर प्रथम
बरेली
30/12/2024

वीरेन्द्र पाल सिंह
निबंधक लिपिक बरेली

ई–स्टाम्प सर्टीफिकेट सं0–IN-UP26802384731581W दिनांक 30.12.2024ई.

अपना कब्जा व दखल हटाकर फरीक दोयम को सौंप दिया है तथा फरीक दोयम ने भी आराजी तफसील जैल वाकै ग्राम विल्वा पर0तह व जिला बरेली पर कब्जा व दखल अपना बहैसियत मालिक के कर लिया है आज के बाद मुझ फरीक अव्वल व मेरे वारिसान का आराजी तफसील जैल दान शुदा में कोई हक या मिल्क किसी किस्म का बाकी नही रहा और ना आयन्दा को होगा तथा आज के बाद मैं फरीक अव्वल व मेरे वारिसान आराजी तफसील जैल दान शुदा की बावत कोई दावा अपना किसी किस्म का नहीं करेंगे यदि करते हैं तो वह कतई बातिल व नाजायज होगा तथा आज के बाद से आराजी तफसील जैल दान शुदा ग्राम समाज के नाम हो गयी है अब मुझ फरीक अव्वल को कोई ताल्लुक व वास्ता नही होगा। लिहाजा हम फरीकैन ने अपनी–अपनी खुशी से बदुरूस्ती होश व हवास में विला किसी जब्र व दबाव के खूब सोचकर व समझकर यह दान पत्र समक्ष गवाहान के लिख दिया जिसकी पावन्दी फरीकैन व वारिसान व कायम मुकामान फरीकैन पर रहेगी फकत।

Sachin Sgh.

ई–स्टाम्प सर्टीफिकेट सं0–IN-UP26802384731581W दिनांक 30.12.2024ई.

तफसील – आराजी भूमिधरी तादादी व नम्बरी जैल वाकै ग्राम विलवा पर0तह व जिला बरेली जिसकी मल्कियत फरीक अव्वल मार्स बिल्डटेक प्रा0लि0 की है खेत नं0 501 में से रकवा 0.005687है0 एवं आराजी भूमिधरी तादादी व नम्बरी जैल वाकै ग्राम विलवा पर0तह व जिला बरेली जिसकी मिल्कियत पापुलर इन्फ्राटेक लि0 की है खेत नं0 503 में से रकवा 0.065153है0 यानि कुल दोनो नम्बरान में से कुल रकवा 0.07084है0 भूमि फरीक अव्वल ने फरीक दोयम को दान में दी जिसकी निर्धारित भूमि दर 2,55,00,000/–रुपये प्रति हैक्टेयर से मालियत सरकारी मु0 18,07,000/–रुपये पर स्टाम्प अदा किया है।

हदूदअर्बा–

पूरब – झील

पश्चिम – चकरोड

उत्तर – एस.टी.पी. एल्डिको सिटी

दक्षिण – खसरा नं0 499 व खसरा नं0 500

पैमाईश– संलग्न नक्शानुसार है।

घोषणा

हम पक्षकार घोषित करते हैं कि गिफ्ट की गई सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के प्रथम भाग क्षेत्राधिकार में वर्णित नगरीय क्षेत्र के दिये गये सीमांकन के अन्तर्गत स्थित है। गिफ्ट की गई सम्पत्ति का चिन्हित मार्ग बरेली–नैनीताल मार्ग से दूरी लगभग 200 मीटर है मूल्यांकन सूची के पृष्ठ संख्या 66 के क्रमांक 136 के कॉलम 07 में बी0 कोड नं0 1076 निर्धारित दर के अनुसार गणना कर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। प्रलेख में दियें गये विवरण की पूर्ण जिम्मेदारी हम पक्षकारों की होगी। धारा 27 स्टाम्प अधिनियम का पूर्ण पालन किया गया है तथा हम पक्षकार घोषित करते है कि हस्तान्तरित भूमि का गाटा संख्या, महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग, पार्क, खुले स्थल, हरित पटिटका,

Sachin Sgh.

-43-

ई–स्टाम्प सर्टीफिकेट सं0–IN-UP26802384731581W दिनांक 30.12.2024ई.

<u>6</u>

क्रीडा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने की दशा में भू–उपयोग के विरूद्ध निर्माण किए जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु क्रेता उत्तरदायी होगा।

अ0– Sachin Sgl.

अ0–

ग0–

Mudit Swaroop
S/o Anil Kr Saxena
C-100/3 Rajendra Nagar
Bareilly
9084129010

Compared By Me
S. B. Saxena
Advocate
Jail Road, Bareilly

ग0– विपिन पाल

विपिन पाल
S/o महेन्द्र पाल
R/o यूनाइटेड नगर
बरेली
9084612004

Compared By Me
S. B. Saxena
Advocate
Jail Road, Bareilly

दिनांकः– 30.12.2024, ड्राफ्टेड वाई– MUDIT SWAROOP
Advocate
Jail Road, Bareilly

टाइप्ड वाई– वेदू

आवेदन सं०: 202400787058503

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15734 के पृष्ठ 19 से 36 तक क्रमांक 21691 पर दिनाँक 30/12/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रवि प्रकाश वर्मा
उप निबंधक : सदर प्रथम
बरेली
30/12/2024

सब रजिस्ट्रार सदर प्रथम जिला बरेली
SUB REGISTRAR OFFICE SADAR-I DISTRIC BAREILLY
कार्यालय उत्तर प्रदेश

[illegible] 2000 [illegible]
[illegible] प्रा० लि० [illegible] अधिकृत प्रतिनिधि
[illegible] प्रबन्ध समिति घाघोरा पिपरिया सचिन सिंह

ख०नं० 501, 503

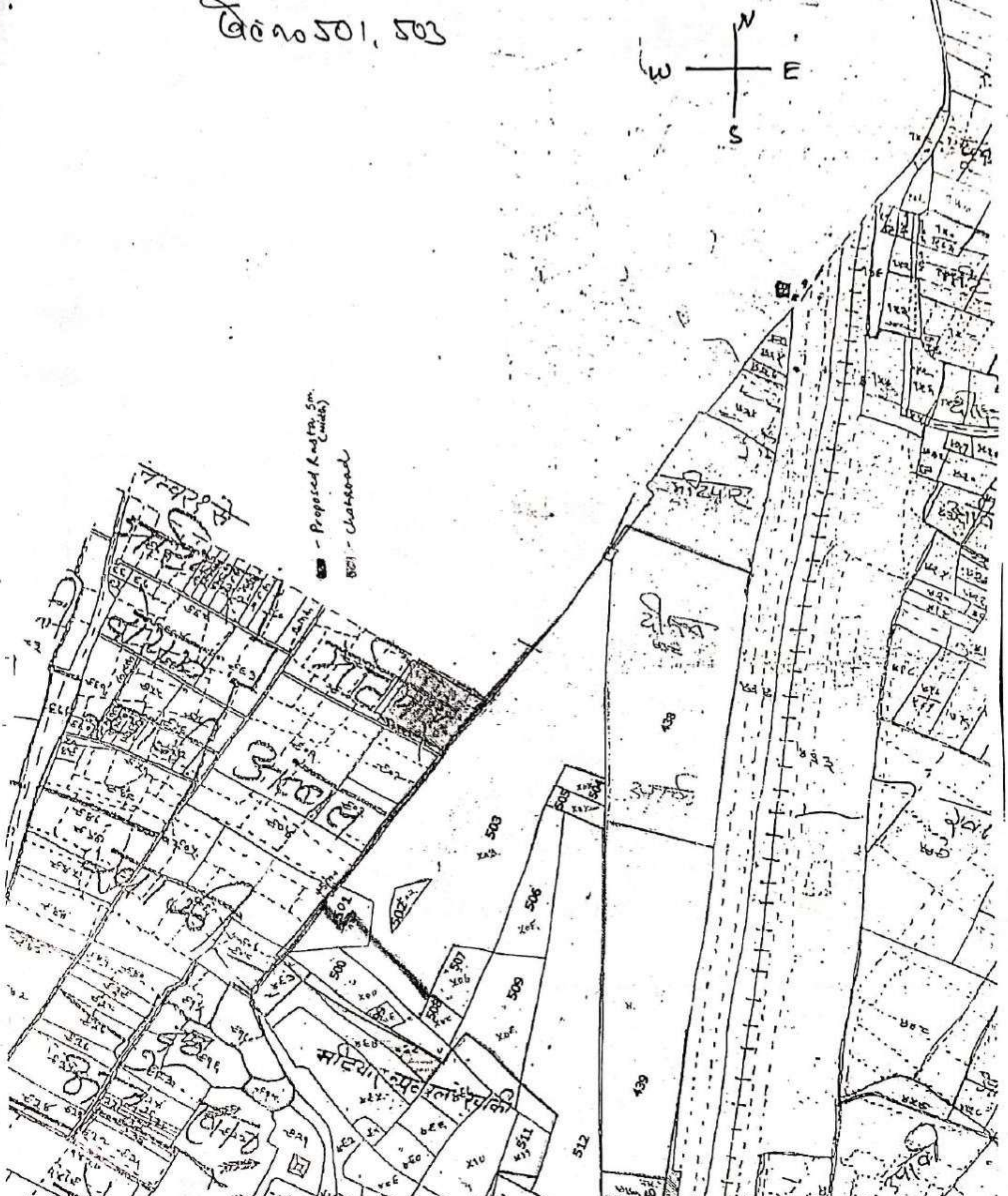

Sachin Singh

विलेख सं0 .... वर्ष ....

सम्पत्ति का फोटो

शहरी क्षेत्र, बरेली

~~मकान नं0/प्लाट नं0~~........ कृषि भूमि ....

सम्पत्ति स्थिति ...... ग्राम विलवा प० तह० व जिला बरेली ......

~~विक्रेता~~ ...... दानदाता मार्स बिल्डटेक प्रा०लि० ......

~~क्रेता~~ ...... दानग्रहीता भूमि प्रबन्ध समिति ग्राम विलवा ......

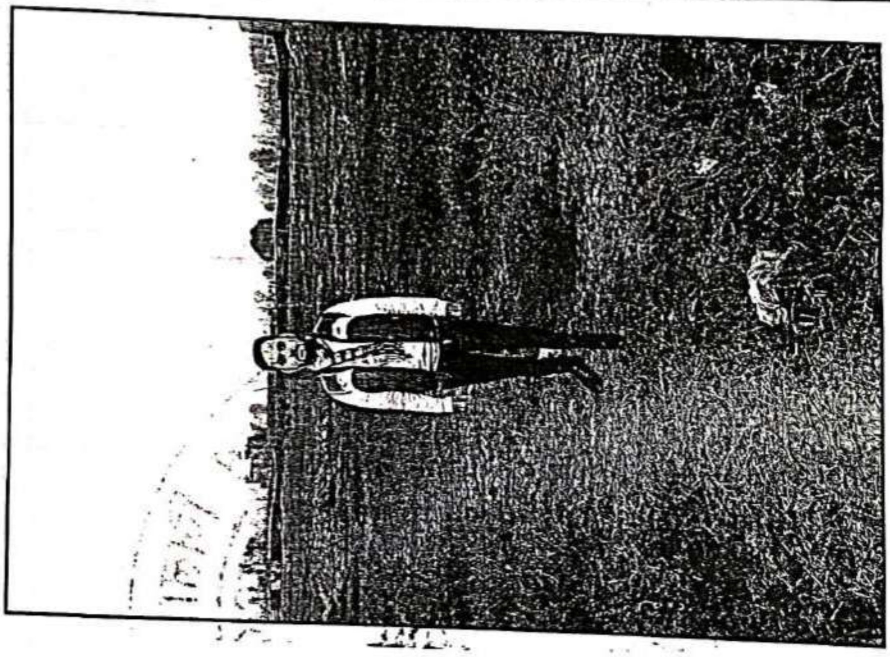

ह0 विक्रेता
Sachin Syl

ह0 क्रेता

Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Nov/2024 16:19:28

ग्राम क्रमांक : 130229 ग्राम का नाम (परगना) : विलवा (बरेली) तहसील : बरेली जनपद : बरेली फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00247

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व :
503	श्रीमती मिथलेश कुमारी / श्याम विहारी लाल / नि0 आलमगिरी गंज बरेली अरविन्द कुमार / राजेन्द्र कुमार / नि0 65 राधेश्याम इन्कलेव सि0ला0बरेली		पृ1398	503(130229050300012)	4.8560			0.00

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- चार दशमलव आठ पाँच छ: शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

नामान्तरण / खातेदार की श्रेणी परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक /	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा	(12) गाटे का खसरा नम्बर /	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

Sachin Sgh.

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Nov/2024 16:19:28

ग्राम क्रमांक : 130229 ग्राम का नाम (परगना) : विलवा (बरेली) तहसील : बरेली जनपद : बरेली फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00247

नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	यूनीक कोड				

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति
(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1428 फ० न्यायालय तहसीलदार सदर बरेली वाद सं० RST/117/2011-2012 व कम्प्यूटरीकृत वाद सं० T202012130104700 ग्राम विलवा पर०तह० व जिला बरेली के उद्धरण खतौनी फ० वर्ष 1422-1427 के गाटा सं० 502 रकवा 0.1140हे० व 503 रकवा 4.8560हे० व गाटा सं० 505 रकवा 0.1140हे० व गाटा सं० 507 रकवा 0.2530हे० कुल किता 4 कुल रकवा 5.3370हे० का 1/2 भाग यानि 2.6685हे० से विक्रेता अरविन्द कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी राधेश्याम इन्क्लेव बरेली खुद व मुख्त्यारआम अनन्त चेतन अग्रवाल पुत्र अरविन्द अग्रवाल निवासी 65 राधेश्याम इन्क्लेव सिविल लाइन्स बरेली व गाटा सं० 498ख रकवा 0.2780हे० व गाटा सं० 499 रकवा 0.0510हे० व गाटा सं० 500 रकवा 0.5310हे० कुल किता 3 कुल रकवा 0.8600हे० से विक्रेता अनन्त चेतन अग्रवाल पुत्र श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल व अतुल कुमार उर्फ अतुल गोयल पुत्र स्व० महेन्द्र कुमार व श्रीमती अलिन्दा हौला पुत्री स्व० महेन्द्र कुमार व गाटा सं० 498क रकवा 0.0760हे० से विक्रेता अनन्त चेतन अग्रवाल व अतुल कुमार उर्फ अतुल गोयल व श्रीमती अलिन्दा हौला व मिस सर्वेश कुमारी गोयल के नाम पृथक करके क्रेता माधुलर इन्फ्राटेक प्रा०लि० 25 गुल मोहर पार्क बरेली द्वारा निदेशक धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता स्व० मुंशीलाल गुप्ता निवासी 25 गुलमोहर पार्क बरेली का नाम उन्ही भौमिक अधिकारों बैनामा दिनांक 25.10.2011 के आधार पर दर्ज हो। ह०र०क० 14.10.2020/16.10.2020

Sachin Singh

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Nov/2024 16:19:28

ग्राम क्रमांक : 130229 ग्राम का नाम (परगना) : विलवा (बरेली) तहसील : बरेली जनपद : बरेली फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00247

[illegible]

Digital India NATIONAL INFORMATICS CENTRE

Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

20/Sep/2024 17:05:01

(1) खाता संख्या : 00252

ग्राम क्रमांक : 130229 ग्राम का नाम (परगना) : विलवा (बरेली) तहसील : नोली जनपद : बरेली फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व :
501	श्रीमती रामकली / स्व0रोशन / नि0पिपरिया योगेश कुमार / श्याम लाल / नि0 हजियापुर स्टेडियम रोड बरेली मार्स बिल्डटैक प्रा०लि०गली नं० 3 लक्ष्मीनगर दिल्ली / द्वारा प्रबंधक छोटेलाल पुत्र लक्ष्मी नरायन / नि० हजियापुर बरेली		पृ1398	5011130229050100000121	0.2530			7.35

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव दो पाँच तीन शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - सात दशमलव तीन पाँच रूपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का	(12) गाटे का	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड /	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

Sachin Singh

109

-50-

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

20/Sep/2024 17:05:01

ग्राम क्रमांक : 130229 ग्राम का नाम (परगना) : विलवा (बरेली) तहसील : बरेली जनपद : बरेली फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00252

आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पद-नाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	खसरा नम्बर / यूनीक कोड		आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)		

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन [illegible] वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति
(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

[illegible] के बाद ग्रस्त [illegible] क्लिक करें.

[illegible] जनसेवा केन्द्र/लोकवाणी केन्द्र [illegible]

Above content is for [illegible] tion. The infor[illegible] provided online is updated and no physical [illegible] required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil [illegible] Centre.

Software Powered [illegible] National Informatics Centre Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

POPULAR INFRATECH PRIVATE LIMITED

CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTION PASSED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY AT ITS MEETING HELD ON FRIDAY THE 27TH DAY OF DECEMBER, 2024 AT 11:30 A.M. AT 201-212, SPLENDOR FORUM, IIND FLOOR, JASOLA DISTRICT CENTRE, NEW DELHI-110025

AUTHORISATION

"**RESOLVED THAT** the consent of the Board be and is hereby accorded to authorise Mr. Sachin Singh S/o Mr. Harendra Bahadur Singh R/o Vill Kakrari, Post Patan, Bighapur Unnao, Uttar Pradesh-209506, Authorised Signatory on behalf of the Company to sign/execute the gift deed in respect of land admeasuring 651.53 sq. mtrs. under Khasra No. 503 situated at Village Bilwa, Bareilly, in favour of Land Management Committee/Gram Panchayat, Bilwa for the purpose of development of Rasta from Jheel falling under Khasra No. 508, situated at Village Bilwa Bareilly, to the nearest Chakroad.

RESOLVED FURTHER THAT aforesaid Authorised Signatory be and is hereby authorized to present the gift deed for registration in the office of Sub-Registrar, Bareilly/competent govt. authority and to admit the same for and on behalf of the company and also authorized to take delivery of the gift deed from the office of Sub-Registrar, Bareilly/competent govt. authority, after its due registration.

RESOLVED FURTHER THAT aforesaid Authorised Signatory be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things in connection with the execution and registration of gift deed of the above land."

Certified True Copy
For POPULAR INFRATECH PRIVATE LIMITED

For Popular Infratech Private Limited

Director/Authorised Signatory

Sanjeev Kumar
Director
DIN: 08509984

-52-

MARS BUILDTECH PRIVATE LIMITED

CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTIONS PASSED AT THE MEETING OF BOARD OF DIRECTORS OF THE MARS BUILDTECH PRIVATE LIMITED HELD ON FRIDAY, THE 27TH DAY OF DECEMBER, 2024 AT 12:00 P.M AT ITS REGISTERED OFFICE AT 201-212, SPLENDOR FORUM, IIND FLOOR JASOLA DISTRICT CENTRE, NEW DELHI - 110025

AUTHORISATION

"**RESOLVED THAT** the consent of the Board be and is hereby accorded to authorise Mr. Sachin Singh S/o Mr. Harendra Bahadur Singh R/o Vill Kakrari, Post Patan, Bighapur Unnao, Uttar Pradesh-209506, Authorised Signatory on behalf of the Company to sign/execute the gift deed in respect of land admeasuring 56.87 sq. mtrs. under Khasra No. 501 situated at Village Bilwa, Bareilly, in favour of Land Management Committee/Gram Panchayat, Bilwa for the purpose of development of Rasta from Jheel falling under Khasra No. 508, situated at Village Bilwa Bareilly, to the nearest Chakroad.

RESOLVED FURTHER THAT aforesaid Authorised Signatory be and is hereby authorized to present the gift deed for registration in the office of Sub-Registrar, Bareilly/competent govt. authority and to admit the same for and on behalf of the company and also authorized to take delivery of the gift deed from the office of Sub-Registrar, Bareilly/competent govt. authority, after its due registration.

RESOLVED FURTHER THAT aforesaid Authorised Signatory be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things in connection with the execution and registration of gift deed of the above land."

Certified True Copy
For MARS BUILDTECH PRIVATE LIMITED
Mars Buildtech Pvt. Ltd

Director/Authorised Signatory
Sanjeev Kumar Anand
Director
DIN: 08509984

कार्यवाही

ग्राम सदस्य		हस्ताक्षर/ निशा०
सर्वश्री लखपत सिंह	आज दिनांक 23/12/2024 को पूर्व एजेन्डा दिनांक-	
ग्राम प्रधान विलवा	16/12/2024 के अनुपालन में दिन के 12 बजे ग्राम	
	पंचायत सचिवालय विलवा में एक बैठक आयोजित	वीर सिंह यादव
2. श्री वीर सिंह यादव	की गई। ग्राम पंचायत विलवा में कुल 13 सदस्य	
	हैं जिनमें से बैठक में 09 सदस्य उपस्थित है.	
	बैठक का कोरम पूरा है. बैठक की अध्यक्षता ग्राम	
3. श्री नन्हे लाल	प्रधान विलवा श्री लखपत सिंह की अध्यक्षता में	नन्हे लाल
	की गई. सर्व प्रथम पूर्व में की गई कार्यवाही को	पिंकी यादव
4. श्रीमती पिंकी यादव	पढ़कर सुनाया गया जिसका सभी उपस्थित सदस्यों	
	ने ध्वनि मत से समर्थन किया. अध्यक्ष भू० प्र० समिति	सन्तोष यादव
	श्री लखपत सिंह के आदेश के क्रम में बैठक की	
5. श्री सन्तोष यादव	कार्यवाही प्रारम्भ की गई सचिव भू० प्र० समिति	
	के द्वारा बैठक में बताया गया, कि ग्राम विलवा	
	में स्थित गाटा सं० 508 क्षे० 0.1260 है० झील के	
6. श्री रामबाबू	नाम अभिलेखों में अंकित है जिसके लिये कोई रास्ता	रामबाबू
	पहुंचने के लिये नहीं है. झील गाटा सं० 508 पर	
	आने-जाने हेतु रास्ते के लिये पापुलर इन्फ्राटेक	
7. श्री जगमाल सिंह	लिमिटेड एवं मार्स विल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा	जगमाल सिंह
	अपनी निजी भूमि क्रमशः गाटा सं०-501 क्षे०-	
	56.87 वर्गमीटर (0.0057 है०) एवं गाटा सं० 503	
8. श्रीमती पूजा	क्षे० 651.53 वर्गमीटर (0.0652 है०) का दानपत्र	पूजा
	द्वारा ग्राम पंचायत विलवा के नाम रजिस्ट्री कराने	
	हेतु श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बरेली को प्रार्थना	कान्ती देवी
9. श्रीमती कान्ती देवी	पत्र दिया है तथा साथ में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया	
	है बैठक में उपस्थित सदस्य श्री वीर सिंह यादव	
	द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि झील गाटा सं० 508	
	पर आने-जाने हेतु जो भूमि रास्ते के लिये पापुलर	
	इन्फ्राटेक लि० एवं मार्स विल्डटेक प्रा० लि० द्वारा ग्राम	
	पंचायत विलवा को दान पत्र के रूप में दी जा रही	
	है. उसकी रजिस्ट्री दानपत्र के द्वारा सचिव भू०	
	जारी - -	

कार्यवाही

-54-

सदस्य	कार्यवाही	हस्ताक्षर
1 पिंकी यादव	पूर्व घोषणा दिनांक 20/01/24 के क्रम में आज दिनांक 27/01/24 को प्राथमिक विद्यालय बिलवा में 11:00 AM बजे बैठक आयोजित की गई।	पिंकी यादव
2. जगमाल सिंह	बैठक में भू०प्र० समिति के 07 सदस्य उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्री लखपत	जगमाल सिंह
3 वीर सिंह यादव	सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक का कोरम पूरा है। बैठक में पूर्व की कार्यवाही पढ़कर सुनायी गई। आगे की कार्यवाही के अन्तर्गत	वीर सिंह यादव
4 रामबाबू	भू०प्र० समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि भू०प्र० समिति के सचिव की हैसियत से मुझे एल्डिको इन्फ्रा लि० अधिकृत श्री संदीप कुमार चावला	रामबाबू
5. नन्हीदेवी	का एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। जिसमें आवेदक ग्राम बिलवा में स्थित गाटा सं 500 रकबा 0.126 हे राजस्व अभिलेखों में झील के रूप में अंकित से अपने खेत के गाटा सं० 500	क०नि०
6 नन्हेलाल	रकबा 0.530 हे० व 501 रकबा 0.253 हे० से विनिमय कराना चाहता है। आवेदक गाटा सं 500 व 501 में संक्रमणीय भूमिधर है। विनिमय	नन्हेलाल
7 सन्तोष यादव	के सम्बन्ध में भू०प्र० समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया। समिति के किसी भी सदस्य द्वारा आपत्ति नहीं की गई। विनिमय के सम्बन्ध में प्रस्ताव श्री जगमाल सिंह पुत्र भूपराम नि० ग्राम बिलवा के द्वारा बैठक में प्रस्तुत किया गया। भू०प्र० समिति के उपस्थित सभी सदस्यों ने एक मत से विनिमय संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।	सन्तोष यादव
	27/01/24 सचिव भू०प्र०स०	अध्यक्ष भू० प्र० स० ग्राम बिलवा लखपत सिंह प्रधान ग्राम पंचायत–बिलवा वि०ख०–भोजीपुरा, बरेली

115

-59- Ann-[R-7]

संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ: दिनाँक: 03 जून, 2016

विषय:- ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के पुनर्ग्रहण एवं विनिमय हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश में जमींदारी समाप्ति के बाद खातों के बाहर की भूमि/वस्तुएं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित कर दी गयी थी। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सम्पतियां वस्तुतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन राज्य सरकार में निहित सम्पत्तियां थीं, जिन्हें मात्र प्रबन्धन के लिए गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित किया गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 को निरसित कर दिया गया है।

2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (1) में व्यवस्था है कि राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है, जो राज्य सरकार में निहित हों। उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (3) में व्यवस्था है कि ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीज (वस्तुएं), जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो, इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गयी हो, इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा, आयी हो, उसे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ

nyayadeshup.nic.in

-2-

इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से या उसके इस प्रकार कब्जे में आने के दिनांक से, यथास्थिति ऐसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में सौंपा हुआ समझा जायेगा। स्थानीय निकाय को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो तत्समय ग्राम पंचायत को प्राप्त रहे हों। ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 से शासित भूमि को किसी अन्य रीति/प्रकार से व्यवस्थित करने का अधिकार नहीं होगा।

3. ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) में व्यवस्था है
कि उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन/संशोधन/परिवर्तन
या उसे निरस्त कर सकती है और धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य
सरकार किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गयी या
अन्तरित की गई किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसी निबंधनों एवं शर्तो पर जैसी कि विहित की
जाय, वापस ले सकती है अर्थात् किसी भी समय ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के
प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण किया जा सकता है। पुनर्ग्रहण के बाद भूमि राज्य
सरकार के सीधे नियंत्रण में आ जाती है और उसका उपयोग कृषि से भिन्न किसी भी प्रयोजन
के लिए किया जा सकता है। सीलिंग में प्राप्त भूमि भी कृषि प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश
अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 126 की उपधारा (1) में विहित वरीयता क्रम के
अनुसार कलेक्टर द्वारा आवंटित की जा सकती है और कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य
सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 25 तथा
27 (2) के अधीन उपलब्ध करायी जा सकती है। इसी प्रकार अन्य सरकारी भूमि भी कृषि तथा
उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए गर्वनमेंट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 के अधीन पट्टे पर देकर उपलब्ध
करायी जा सकती है।

4. ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा
अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त भूमि का पात्र व्यक्तियों में आवंटन
तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों और निजी प्रयोजनों/उद्योगों के निमित्त
भूमि उपलब्ध कराये जाने में सामन्जस्य होना अत्यन्त आवश्यक है। गांव सभाओं/स्थानीय
प्राधिकारियों में निहित सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं
के निमित्त पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों/अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए
श्री राज्यपाल निम्नलिखित भावी पथ प्रदर्शन्तर्थ सामान्य सिद्वान्त निर्धारित करने की सहर्ष
अनुमति प्रदान करते हैं:-

shasnadesh.up.nic.in

4(1)(क) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में

-3-

प्राप्त तथा अन्य सरकारी कृषि योग्य भूमि का उपयोग विभिन्न अधिनियमों में वर्णित क्रमानुसार केवल पात्र व्यक्तियों के आवंटन तक ही सीमित रखा जायेगा। इस प्रकार की भूमि सिद्धान्ततः अधिनियम की प्राथमिकताओं मे आने वाले पात्र व्यक्तियों को ही दी जायेगी, क्योंकि भूमि सुधार कानूनों के अभिप्राय के अनुसार उपलब्ध कृषि योग्य भूमि पर सर्वप्रथम अधिकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा समाज के निर्बल वर्गो के व्यक्तियों का ही है।

(ख) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त एवं अन्य सरकारी कृषि अयोग्य भूमि ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित की जायेगी।

(ग) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि यदि भूमिहीनों में आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षण के बाद भी शेष बचती है, तो ऐसी कृषि अयोग्य भूमि केवल राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उपलब्ध करायी जायेगी। भारत सरकार, के विभागों अथवा राज्य सरकार के सेवारत/ वाणिज्यिक विभागों की आवश्यकता से तात्पर्य विभागों के कार्यालय, विभागों के अन्तर्गत ऐसे प्रतिष्ठानों जिनमें सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक अंश पूंजी लगी हो, के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने से होगा। राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/ न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियों-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा कराया जायेगा।

(घ) यदि ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि पात्र व्यक्तियों की आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य

shasnadesh.up.nic.in

उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए ही पर्याप्त हो, तो राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की

-4-

-4-

आवश्यकता की पूर्ति हेतु अर्जन की कार्यवाही के माध्यम से भूमि की व्यवस्था की जायेगी। यह प्रतिबन्ध सड़क, नहर तथा नलकूप आदि के निर्माण के लिए लागू न होगा, क्योंकि प्रश्नगत योजनाएं क्षैतिज में अर्थात् 180 डिग्री पर चलती हैं और उनके लिए उपर्युक्त प्रतिबन्ध लगाने से उनके कार्यान्वयन में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार यह प्रतिबन्ध ऐसे क्षेत्रों के लिए भी लागू नहीं होगा जहाँ ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894/भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन हेतु अधिसूचित क्षेत्र के बीच में पड़ती हो।

(ङ) जहां तक राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों को भूमि देने में पारस्परिक वरीयता का प्रश्न है, सेवारत विभागों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी तथा अन्य दशा में उस विभाग को वरीयता दी जायेगी जिसके द्वारा पहले भूमि की मांग की गयी हो।

(च) निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उसी दशा में उपलब्ध करायी जायेगी, जब भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को आवंटन, ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता एवं ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए भूमि आरक्षण और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध कराने के बाद भी शेष रहती हो। निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास की आवश्यकता के लिए भूमि सर्वाधिकार सहित देने के बजाय पट्टे पर एक निर्धारित अवधि के लिए दी जायेगी।

(छ) राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय को भूमि निःशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित तथा राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों को भूमि सःशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित दी जायेगी। केवल निजी क्षेत्र को भूमि, मूल्य लेकर 30 वर्षो के लिए पट्टे पर (भूमिधरी अधिकार नहीं) दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30-30 वर्ष के पट्टे का

नवीनीकरण किया जा सकेगा, लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

(ज) भूमि को पुनर्ग्रहीत किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य होगा कि वह

-5-

वस्तुतः ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित है।

(झ) ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्ग्रहण हेतु भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव आवश्यक होगा। भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव का यथोचित आदर किया जाना आवश्यक होगा और जब तक कोई विशेष कारण न हो, समिति के प्रस्ताव के विपरीत भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(ट) आसामी तथा लाइसेन्सदार के अध्यासन वाली भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकेगा। पुनर्ग्रहण के पूर्व यह भी देख लेना आवश्यक होगा कि सम्बन्धित भूमि पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 76 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को सीरदार/असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार तो नहीं मिल गये है। यदि हां, तो उस भूमि का पुनर्ग्रहण न होगा बल्कि यथा नियम भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही अमल में लानी होगी।

(ठ) पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि पर ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किये गये विकास कार्य के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 के उप नियम (5) के अनुसार प्रतिकर देय होगा।

(ड) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण जिसके लिए किया जा रहा है, उसकी प्रास्थिति के बारे में स्थिति संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा स्पष्ट की जायेगी अर्थात् भूमि का पुनर्ग्रहण जिसके लिए किया जा रहा है, वह राज्य सरकार का सेवारत या वाणिज्यिक विभाग है या भारत सरकार का विभाग है या निजी क्षेत्र है।

(ढ) नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखी जायेगी जो भारत सरकार को भूमि के हस्तान्तरण हेतु पृथक से यथाआवश्यक आदेश जारी करेंगे।

(ण) शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों की संस्तुति पर ही जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जायेगा और पुनर्ग्रहीत भूमि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों के निवर्तन पर रखी जायेगी जो उसके हस्तान्तरण हेतु पृथक से आवश्यक आदेश जारी करेंगे।

shashakt.up.nic.in

(त) भूमि की कीमत तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कर दिये जाने के बाद ही पुनर्ग्रहीत/विनिमय की गयी भूमि का कब्जा प्रशासकीय विभागों को दिया जायेगा।

(थ) प्रशासकीय विभाग को पुनर्ग्रहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर राजस्व विभाग को वापस किया जायेगा तथा निर्धारित

-6-

प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(द) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के कार्यालय में पुनर्ग्रहण की गयी भूमियों/वस्तुओं का विवरण क्रमबद्ध रूप में उपलब्ध रहना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु कार्यालयों में आकार-पत्र-3 में एक रजिस्टर रखा जायेगा और प्रत्येक पुनर्ग्रहण का आदेश उसमें अंकित होने तथा सम्बन्धित अधिकारी के उस पर हस्ताक्षर करने के बाद निर्गत किया जायेगा।

(ध) जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्ग्रहण आदेशों तथा त्रुटियों के निराकरण हेतु मानक आकार पत्र-1 संलग्न है। संलग्न मानक आकार पत्र-1 के आधार पर ही पुनर्ग्रहण के आदेश जारी किये जायेंगे।

(न) जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि का विवरण संलग्न आकार पत्र-2 एवं 3 में षटमासिक रूप से आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तथा 15 जुलाई को भेजा जायेगा, जिसे संकलित कर आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा शासन को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी व 31 जुलाई को भेजा जायेगा।

(प) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा राजस्व परिषद के अधिकारियों के दौरों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण कार्य मण्डल व जिला स्तर पर शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन हो रहा हैं। संलग्न आकार पत्र-2 में षटमासिक विवरण-पत्र परिषद के माध्यम से शासन को यथा समय प्राप्त होते रहें।

4(2) राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जहाँ यह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5 के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित, राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, संबंधित जनपदों के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है।

shasanadesh.up.nic.in

इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार के सेवारत विभागों हेतु उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं का निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही संबंधित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

4(3) राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनॉक

03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जहाँ यह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5 के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित, राज्य सरकार के किसी वाणिज्यिक विभाग के लिए या जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हों, रूपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रूपये 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं के सःशुल्क पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्त द्वारा की जायेगी।

4(4) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (दो), (पॉच) तथा (छः) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की शक्ति शासन में निहित होगी। इसी प्रकार निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पॉच) तथा (छः) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।

4(5) उपरिलिखित प्रस्तर-4 (1) में विहित सामान्य सिद्वान्तों के अनुसार राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ संबंधित जिलाधिकारी को अपने हस्ताक्षर से इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित ग्राम के समस्त पात्र व्यक्तियों की भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है। इसी प्रकार निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित

जिलाधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित ग्राम में समस्त पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्राम की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है अथवा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

-8-

4(6) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से जनपद, तहसील, परगना, ग्राम, गाटा संख्या, रकबा (हेक्टेअर में) एवं भूमि की श्रेणी/प्रकृति का उल्लेख करते हुए संगत अभिलेखों, अपेक्षित प्रमाण-पत्रों एवं स्पष्ट संस्तुति सहित शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से राजस्व अनुभाग-1 को भेजे जायेंगे। पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव हेतु ऐसी भूमि का चयन न किया जाये जो हिन्चलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य तथा अन्य सदृश्य वादों में मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय के बाध्यकारी आदेश या किसी मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित हो।

5. जब विकास की बड़ी योजनाओं/कार्यों हेतु भूमि का बड़ा क्षेत्रफल क्रय/अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके मध्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियां, जिसमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, यथा-चकरोड, चकमार्ग, रास्ता, नाली, नाला, खलिहान, होलिका स्थल, खाद के गड्ढे, पशुचर, हड्डावर, श्मशान स्थल व तालाब /पोखर आदि भी स्वाभाविक रूप से आते हैं। इसके फलस्वरूप इन परियोजनाओं का कार्य तो बाधित होता ही है साथ ही ग्रामीणों को असुविधा भी होती है। इस संबंध में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमियों के शासन स्तर पर पुनर्ग्रहण/विनिमय या किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में परिवर्तन पर विचार किये जाने हेतु निम्नलिखित सामान्य सिद्वान्तों का निर्धारण किया जाता है:-

5(1) राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि दिये जाने की व्यवस्था है। अतएव पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि के बराबर ही उसी ग्राम पंचायत की सामान्य भूमि (सार्वजनिक उपयोग की नहीं) उसी सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित करते हुए पुनर्ग्रहण एवं विनिमय किया जायेगा।

5(2) राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी क्षेत्र को भूमि विनिमय के माध्यम से उपलब्ध करायी जाय अर्थात् संस्था द्वारा उसी ग्राम पंचायत में अवस्थित योजना की अपने स्वामित्व की भूमि से ग्राम पंचायत की भूमि का विनिमय किया जायेगा। यदि

स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को हरे रंग से तथा संस्था की भूमि को लाल रंग से गाटा संख्या, रकवा, भूमि की श्रेणी/प्रकृति, दोनों भूमियों के मध्य दूरी, सम्पर्क मार्ग तथा दोनों भूमियों से संबंधित एक रंगीन मानचित्र अलग-अलग रंगों से प्रदर्शित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

5(3) किसी संस्था द्वारा क्रय/अधिग्रहीत भूमि से घिरे ऐसे चकरोड, रास्ता, नाली, नाला इत्यादि

-9-

shasanadesh.up.nic.in

की भूमि, जो संस्था की बाउन्ड्री के अन्दर ही आरम्भ एवं समाप्त होते हैं अर्थात् जिनकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, का सःशुल्क पुनर्ग्रहण कर नियमानुसार संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(4) ऐसे चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि जो संस्था की बाउन्ड्री के अंदर से होते हुए उसकी बाउन्ड्री के बाहर भी जाते हैं जिसके कारण ये सार्वजनिक उपयोग में आने योग्य हैं, का पुनर्ग्रहण सामान्यतया न किया जाय। यदि संस्था सुरक्षा आदि के कारणों से उसका पुनर्ग्रहण चाहती है, तो इससे पूर्व संस्था से उनकी बाउन्ड्री के किनारे उनके स्वामित्व की भूमि से सार्वजनिक प्रयोग हेतु वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के उपरान्त ही उनकी बाउन्ड्री के अंदर आने वाले चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि भूमियों को विनिमय द्वारा संस्था को उपलब्ध करा दिया जाय जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय/अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। यह विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। संस्था की भूमि से विनिमय किये जाने पर भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा।

5(5) क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत की ऐसी अन्य सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियाँ, जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं यथा-पशुचर, खलिहान, हड्डावर, खाद के गडढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर इत्यादि जिनकी सार्वजनिक उपयोगिता तो है, किन्तु संस्था के बड़े क्षेत्रफल के अंदर आ जाने के कारण इसका सार्वजनिक प्रयोग असुविधाजनक हो गया है, को पुनर्ग्रहण करने के लिये संस्था द्वारा उन सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के बदले उतनी ही भूमि उसी ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में अवस्थित अपने स्वामित्व की भूमि से ऐसे स्थल पर विकल्प के रूप में उपयोगिता के आधार पर विनिमय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है तो क्रय या अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के

आधार पर होगा। यदि जिलाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाता है कि क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियाँ यथा-पशुचर, खलिहान, हड़ावर, खाद के गड्ढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि की वर्तमान में सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, तो ऐसी भूमियों का श्रेणी परिवर्तन कर स:शुल्क पुनर्ग्रहण संस्था को उपलब्ध करा दिया जायेगा। लोक प्रयोजन भूमि के श्रेणी परिवर्तन का मूल्य भी देय होगा।

5(6) मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001 हिंचलाल तिवारी बनाम

कमला देवी व अन्य सिविल अपील संख्या-1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-38910/2013 इकबाल अहमद व अन्य बनाम डी0डी0सी0 देवरिया व अन्य में पारित आदेश के क्रम में तालाब/पोखर/घौला तथा अन्य जल प्रणालियों इत्यादि की भूमि की पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्देश पर्यावरण की सुरक्षा तथा भौगोलिक पारिस्थितिकी को बनाये रखने के दृष्टिगत दिये गये हैं। यदि विकास की बड़ी परियोजनाओं हेतु क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि आती है, तो उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण के बिना विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही पर इस प्रतिबन्ध के अधीन विचार किया जा सकेगा कि संस्था द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप तालाब/पोखर/घौला आदि के प्राकृतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे बल्कि पूर्व की भाँति तालाब/पोखर/घौला आदि का प्राकृतिक स्वरूप एवं जल संचयन की क्षमता तथा नैसर्गिक जल प्रवाह को यथावत् बनाये रखना भी सुनिश्चित करेंगे। यदि संस्था सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ऐसा कर पाने में सक्षम न हो तो ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा विद्यमान क्षेत्रफल से 25 प्रतिशत अधिक अर्थात् 125 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तालाब की खुदाई करा करके उसे गहरा बनाना सुनिश्चित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खुदाई किये जाने वाले तालाब में वर्षा का अधिकाधिक जल का संचयन हो सके ताकि ग्राम वासियों द्वारा तालाब में संचित जल का समुचित उपयोग किया जा सकें। उक्त व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरान्त ही तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि विनिमय के द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था द्वारा ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर तालाब/पोखर/घौला आदि की वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने की दशा में संस्था से भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा। संबंधित प्रशासनिक विभाग तथा कलेक्टर तालाब/पोखर/घौला आदि की उपयोगिता के आधार पर समतुल्य वैकल्पिक व्यवस्था से संतुष्ट होने के उपरान्त ही भूमि का कब्जा संस्था को हस्तान्तरित करेंगे। यह कार्यवाही 30 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण की जायेगी ताकि ग्राम

shramadarpan.nic.in

वासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था की पूर्ण सूचना तथा जाँच रिपोर्ट संबंधित प्रशासकीय विभाग, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद तथा राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को 45 दिन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5(7) कब्रिस्तान, श्मसान तथा धार्मिक स्थलों का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा और यदि ऐसी भूमि पुनर्ग्रहीत भूमि की सीमा के भीतर आती हो, तो संस्था द्वारा इसके सार्वजनिक प्रयोग हेतु संपर्क मार्ग दिया जायेगा। यदि किन्ही विशेष परिस्थितियों में उनमें से किसी एक का पुनर्ग्रहण

-11-

अनिवार्य हो, तो वैकल्पिक व्यवस्था करना तथा यह देख लेना आवश्यक होगा कि ऐसी भूमियों के पुनर्ग्रहण से किसी धार्मिक उत्तेजना की आशंका तो नहीं है। यदि हाँ, तो ऐसी वस्तु या वस्तुओं का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।

5(8) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का संस्था की भूमि से विनिमय की अनुमति शासन द्वारा दी जायेगी। अतः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 101 के अधीन कलेक्टर द्वारा विनिमय का प्रस्ताव संगत अभिलेखों एवं रंगीन मानचित्र के साथ शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किये जायेगें। प्रशासकीय विभाग विनिमय के प्रस्ताव पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

5(9) जनपद/मण्डल/शासन स्तर पर भूमि के पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत होने से पूर्व प्रस्तावित भूमियों पर संस्था द्वारा निर्माण कार्य आदि प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। अतएव कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगें कि जब तक प्रस्तावित भूमि का पुनर्ग्रहण आदेश कलेक्टर/मण्डलायुक्त या शासन स्तर से निर्गत नहीं हो जाता है, तब तक प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य/कब्जा आदि न होने पाये। यदि बिना पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत हुए प्रस्तावित भूमि पर कोई निर्माण कार्य/कब्जा आदि किया जाता है, तो इसके लिए सम्बन्धित कलेक्टर स्वंय उत्तरदायी होगें।

5(10) सार्वजनिक उपयोग की भूमि के बदले शासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक व्यवस्था तथा अन्य निर्धारित सभी शर्तो का अनुपालन कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

5(11) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवासीय समस्याओं के निराकरण हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उच्च गुणवत्ता की जीवन पद्धति वाले आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु निजी पूँजी निवेश के माध्यम से विकसित की जा रही हाइटेक टाउनशिप/इण्टीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप की नीतियाँ निधारित की गयी है। टाउनशिप के विकास हेतु चयनित स्थल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत

shasanadesh.up.nic.in

/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि भी स्वाभाविक रूप से आती है। प्रस्तावित टाउनशिप का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टाउनशिप के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण आवश्यक होता है।

आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों को पुनर्ग्रहीत कर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए संबंधित विकास प्राधिकरण को आवासीय नीतियों के प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि संबंधित विकासकर्ता को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी और विकासकर्ता का उक्त भूमि तृतीय पक्ष के लिए

-12-

हस्तान्तरित करने की छूट होगी और इस हेतु शासन से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित है, तो तृतीय पक्ष को बिना पुनर्ग्रहण आदेश के हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा। हाईटेक टाउनशिप/इंटीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण हाईटेक टाउनशिप/इंटीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप की नीति के अनुसार निर्धारित अवधि 60 दिन में पूर्ण कर ली जाय। ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा समस्त अभिलेखों सहित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा। आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा 15 दिन के अन्दर परीक्षणोपरान्त स्पष्ट संस्तुति/सहमति सहित प्रस्ताव राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(12) प्रदेश में विद्युत एवं अवस्थापना विकास के सुदृढ़ीकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये विद्युत उपकेन्द्रों क्षमता-33/11 के.वी. के साथ अन्य विभव के विद्युत उपकेन्द्रों यथा-132 के.वी., 220 के.वी., 400 के.वी. एवं 765 के.वी. की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियों यथा-चकरोड, रास्ता, नाली, नाला, पशुचर, खलिहान, हड़ावर, खाद के गड्ढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि (वह भूमि जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते) से आच्छादित भूमि को छोड़कर उपलब्धता के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमि को 01 रूपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिए पट्टे पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन/वितरण निगमों (मध्यांचल, पूर्वांचल,

shasnadesh.up.nic.in

पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, केस्को व उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उपलब्ध करायी जायेगी। भूमि के सांकेतिक मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु संबंधित आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता निम्नवत् होगी-

(अ) 33/11 के.वी

(क) कवाल नगरों, बड़े शहरों तथा जिला मुख्यालयों हेतु — 1.50 एकड़

-13-

-13-

(ख) अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में — 2.00 एकड़

(ब) 132 के.वी. — 3.50 एकड़

(स) 220 के.वी. — 10.00 एकड़

(द) 400 के.वी. — 50.00 एकड़

(य) 765 के.वी. — 82.00 एकड़

यदि प्रदेश में विद्युत सुधार एवं विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना निजी संस्था के माध्यम से की जाती है तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि सःशुल्क पुनर्ग्रहण कर नियमानुसार पट्टे पर उपलब्ध कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट भूमियों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही शासन स्तर से की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-744(1)/एक-1-2016-20(5)/2016 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

shasanadesh.up.nic.in

-71

3. चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी।
7. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सागर)
विशेष सचिव।

-1-

जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्ग्रहण के आदेशों का मानक आकार पत्र

आकार पत्र-1

आदेश

संख्या.............................. दिनांक ....

शासनादेश संख्या.............................दिनांक.........................का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या .... दिनॉक........द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं.....................जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त.............................संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक..........................के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण:-(प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही

shasnadesh.up.nic.in

								है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

आज्ञा से,

(जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त का नाम)

➢ टिप्पणी- रिक्त स्थान में उन शासनादेश तथा दिनांक भरी जायेगी जिसके द्वारा पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गई थी।

-2-

shasnadesh.up.nic.in

आकार पत्र-2

जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त द्वारा पुनर्ग्रहीत की गई भूमि का षटमासिक विवरण

30 जून, 20................../31 दिसम्बर, 20......................को समाप्त होने वाला षटमास,
जिला ...., तहसील ....परगना.....................

क्र0सं0	विभाग का नाम जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की गई	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की गई	ग्राम पंचायत	पुनर्ग्रहीत भूमि का क्षेत्रफल एवं भूमि की प्रकृति/श्रेणी	पुनर्ग्रहीत की गई भूमि का मूल्य	पुनर्ग्रहीत की गई भूमि की मालगुजारी का पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया
1	2	3	4	5	6	7

आकार पत्र 3

पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि का गाटा संख्या, रकबा एवं	ग्राम जिसमें पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि	ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण जिसमें पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि स्थित है।	पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि का मूल्य	पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि की मालगुजारी का पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक	भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य	पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत किए जाने की तिथि व आदेश संख्या/विभाग	प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर नाम व पदनाम

भूमि की प्रकृति/श्रेणी	स्थित है			किराया	जमा करने का विवरण	जिसके लिए पुनर्ग्रहण किया गया	सहित
1	2	3	4	5	6	7	8

---

shasnadesh.up.nic.in

संख्या-33/745/एक-1-2016-20(5)/2016

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: जून, 2016

विषय:- ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित लोक उपयोगिता की भूमि के श्रेणी परिवर्तन हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश में जमींदारी समाप्ति के बाद खातों के बाहर की भूमि/वस्तुएं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित कर दी गयी थी। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सम्पतियाँ वस्तुतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन राज्य सरकार में निहित सम्पतियाँ थीं, जिन्हें मात्र प्रबन्धन के लिए गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित किया गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 को निरसित कर दिया गया है।

2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (1) में व्यवस्था है कि राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है जो राज्य सरकार में निहित हों। उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (3) में व्यवस्था है कि ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीज (वस्तुएं), जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो, इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गयी हो, इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा, आयी हो, उसे इस संहिता के

-2-

उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से या उसके इस प्रकार कब्जे में आने के दिनांक से, यथास्थिति ऐसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा हुआ समझा जायेगा।

3. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियों पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। धारा 77 की उपधारा (2) में व्यवस्था है कि इस संहिता के अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ, इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई भूमि अथवा उसका कोई भाग लोक प्रयोजन के लिए क्रय, अर्जित या पुनर्ग्रहीत किये गये भू-खण्ड या भू-खण्डों से घिरी है अथवा उसके या उनके बीच में है, वहां राज्य सरकार, ऐसी लोक उपयोगिता भूमि की श्रेणी को परिवर्तित कर सकती है। यहाँ पर 'लोक प्रयोजन' का तात्पर्य, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खण्ड (यक) के अन्तर्गत परिभाषित 'लोक प्रयोजन' से है।

4. ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियां यथा-पशुचर, खलिहान, हड्डावर, खाद के गड्ढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि को सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। ऐसी भूमियों के श्रेणी में लगातार परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। ऐसी भूमियों की श्रेणी में परिवर्तन एवं विनिमय की कार्यवाही अपरिहार्य परिस्थितियों में की जायेगी। लोक प्रयोजन की भूमि के श्रेणी परिवर्तन को हतोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास से जितनी भूमि का श्रेणी परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है उतनी भूमि हेतु संस्था से श्रेणी परिवर्तन शुल्क लिया जायेगा। लोक प्रयोजन की भूमि के श्रेणी में परिवर्तन की कार्यवाही शासन स्तर पर की जायेगी। लोक प्रयोजन की भूमि के श्रेणी परिवर्तन हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित सामान्य सिद्वान्त निर्धारित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

4(1) लोक प्रयोजन के लिए क्रय, अर्जित या पुनर्ग्रहीत किये गये भू-खण्ड या भू-खण्डों से घिरी है अथवा उसके या उनके बीच में होने की दशा में, लोक उपयोगिता भूमि के श्रेणी में परिवर्तन पर विचार किया जायेगा।

4(2) किसी लोक प्रयोजन भूमि के श्रेणी में परिवर्तन अपवादात्मक प्रकरणों में ही अनुमन्य होगा। राजस्व परिषद तथा कलेक्टर द्वारा लोक प्रयोजन की भूमि के श्रेणी परिवर्तन का प्रस्ताव अपवादात्मक प्रकरणों में औचित्यपूर्ण कारणों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4(3) ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता हेतु आरक्षित लोक प्रयोजन भूमियों को सुरक्षित

रखना अतिआवश्यक है। ऐसी भूमियों के श्रेणी में लगातार परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। ऐसी भूमियों की श्रेणी में परिवर्तन तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-101 के अधीन विनिमय की कार्यवाही अपरिहार्य परिस्थितियों में की जायेगी। सुरक्षित श्रेणी की इन भूमियों के श्रेणी में परितर्वन एवं विनिमय की कार्यवाही हेतु राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय हेतु निःशुल्क तथा राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास से श्रेणी परिवर्तन शुल्क कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 25 प्रतिशत के बराबर धनराशि लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" में जमा कराया जायेगा।

4(4) यदि जिलाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाता है कि क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियाँ यथा-पशुचर, खलिहान, हड़ावर, खाद के गड्ढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि की वर्तमान में सार्वजनिक उपयोगिता ही नहीं रह गयी है, तो ऐसी भूमियों की श्रेणी में परिवर्तन कर राज्य सरकार के सेवारत विभागों/नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय हेतु निःशुल्क तथा राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों//निजी संस्थाओं/न्यास हेतु सःशुल्क लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर नियमानुसार पुनर्ग्रहण के माध्यम से भूमि को उपलब्ध कराया जायेगा।

4(5) यह देख लेना आवश्यक होगा कि भूमि के श्रेणी परिवर्तन से किसी गम्भीर विवाद की आशंका तो नहीं है। यदि हाँ, तो ऐसी भूमियों का श्रेणी परिवर्तन नहीं किया जायेगा। जहाँ यह अत्यन्त आवश्यक हो, वहाँ वैकल्पिक व्यवस्थाएं या अन्य व्यवस्थाएं जिससे उक्त आशंका की स्थिति न रहे, करके ही श्रेणी परिवर्तन किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र कलेक्टर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

4(6) कब्रिस्तान, श्मसान तथा धार्मिक स्थलों का श्रेणी परिवर्तन नहीं किया जायेगा और यदि ऐसी भूमि क्रय/अधिग्रहीत भूमि की सीमा के भीतर आती हो तो संस्था द्वारा इसके सार्वजनिक प्रयोग हेतु संपर्क मार्ग दिया जायेगा। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उनमें से किसी एक का श्रेणी परिवर्तन करना अनिवार्य हो तो वैकल्पिक व्यवस्था करना तथा कलेक्टर द्वारा यह देख लेना आवश्यक होगा कि ऐसी भूमियों के श्रेणी परिवर्तन से किसी धार्मिक उत्तेजना की आशंका तो नहीं है। यदि हाँ, तो ऐसी भूमियों के श्रेणी परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित नहीं किया जायेगा।

4(7) कलेक्टर द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि राज्य सरकार के सेवारत

विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय हेतु लोक उपयोगिता की भूमि के श्रेणी परिवर्तन की अपरिहार्यता है। इसके सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण कारणों सहित लोक प्रयोजन की भूमि के श्रेणी परिवर्तन की जाने वाली भूमि के बराबर ही उसी ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, की सामान्य भूमि (सार्वजनिक उपयोग की नहीं) उसी सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित कर लिये जाने का विवरण उपलब्ध कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु लोक उपयोगिता की भूमि के श्रेणी में परिवर्तन कर निःशुल्क विनिमय द्वारा भूमि उपलब्ध कराया जायेगा।

4(8) राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी क्षेत्र को लोक उपयोगिता भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर सःशुल्क विनिमय के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा अर्थात् संस्था द्वारा उसी ग्राम पंचायत में अवस्थित योजना की अपने स्वामित्व की भूमि से ग्राम पंचायत की भूमि का विनिमय किया जायेगा। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा।

4(9) कलेक्टर द्वारा लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन का प्रस्ताव संगत अभिलेखों यथा-खसरा, खतौनी, भू-मानचित्र जिसमें परियोजना/योजना की सीमाओं को प्रदर्शित करते हुए, सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को हरे रंग से तथा संस्था की भूमि को लाल रंग से, गाटा संख्या, रकबा, भूमि की श्रेणी/प्रकृति, दोनों भूमियों के मध्य दूरी, सम्पर्क मार्ग, श्रेणी परिवर्तन का कारण व औचित्य का उल्लेख करते हुए स्पष्ट अभिमत/संस्तुति सहित संबंधित प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव राजस्व अनुभाग-1 को उपलब्ध करायेंगे।

4(10) संबंधित प्रशासकीय विभाग से स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर लोक प्रयोजन की भूमि के श्रेणी परिवर्तन पर राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

4(11) लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करेगा।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/एक-1-2016-20(5)/2016 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी।
7. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.upnic.in